

अनुमोदन बोर्ड का 5 फरवरी, 2018 को कमरा संख्या 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में दिनांक 05 फरवरी, 2018 को आयोजित 81वीं बैठक की कार्यसूची।

मद संख्या 81.1 : औपचारिक अनुमोदन की वैधता के विस्तार के लिए अनुरोध (6 प्रस्ताव)

अपनी बैठक में बीओए ने सितम्बर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में इसी तरह के मामलों की निम्नवत जांच की।

"बोर्ड ने विकास आयुक्तों की सलाह दी कि 5वीं वर्ष से परे औपचारिक अनुमोदन के विस्तार और उसके बाद के लिए अनुरोध पर सिफारिश करने के लिए केवल यह संतुष्टि होने पर ही कर कि डेवलपर ने परियोजना के संचालन और विस्तार की दिशा में पर्याप्त कदम उठाए हैं और यह उचित कारणों के आधार पर ही विस्तार किया जाता है। बोर्ड ने यह भी देशा कि एक्सटेंशन को नियमित रूप से तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि डेवलपर्स द्वारा जमीन पर कुछ प्रगति नहीं की जाती। इसलिए, बोर्ड ने विचार-विमर्श के बाद, एक वर्ष की अवधि के लिए पांचवें वर्ष से अधिक के विस्तार के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता और अंतिम विस्तार की समाप्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए छठे वर्ष से अधिक की वैधता बढ़ा दी।"

(i) मैसर्स टीसीएस लिमिटेड इंदौर का औपचारिक मंजूरी की वैधता अवधि को आगे विस्तार के लिए अनुमति एसईजेड इंदौर, विशिष्ट क्षेत्र आईटी/आईटीईएस इंदौर, मध्य प्रदेश में एसईजेड की स्थापना 28 फरवरी, 2018 से परे के लिए दी गई।

डेवलपर का नाम : मैसर्स टीसीएस लिमिटेड, इंदौर
 सेक्टर : आईटी/आईटीईएस
 अवस्थापन : इंदौर, मध्य प्रदेश
 विस्तार : डेवलपर को औपचारिक स्वीकृति 28.02.2012 को दी गई थी। डेवलपर को तीन एक्सटेंशन दिए गए हैं। 19.01.2017 को अंतिम विस्तार दिया गया जिसकी वैधता अवधि 28.02.2018 तक है। डेवलपर ने 27.02.2019 तक आगे विस्तार के लिए अनुरोध किया है। एसईजेड को 05.07.2013 को अधिसूचित किया गया था।

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यापार योजना का विवरण :

क्रम संख्या	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (लाख रुपये/करोड़ रुपये)
1	भूमि लागत	20 करोड़
2	निर्माण कार्य व्यय	280 करोड़
3	अन्य लागत	10 करोड़
	कुल	310 करोड़

(ख) पिछले विस्तार के बाद से निवेशशील निवेश :

क्रम संख्या	लागत का प्रकार	20.11.2017 तक अब तक किया गया कुल निवेश (लाख/ करोड़ रुपये)	संवर्धित निवेश (करोड़ रुपये में) अंतिम विस्तार के बाद से
1	भूमि लागत	20.65 करोड़	0
2	सामग्री अधिप्राप्ति	250.96 करोड़	123.85 करोड़
3	निर्माण	127.24 करोड़	47.02 करोड़
	कुल	398.85 करोड़	170.87 करोड़

(ग) आज तक भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र.सं.	अधिकृत गतिविधि	प्रतिशत समापन	पिछले एक वर्ष के दौरान प्रतिशत पूरा किया गया	शेष कार्य पूरा करने के लिए समय-सीमा
1	चाहरदीवारी	100%	0%	पूरा कर लिया गया है
2	सॉफ्टवेयर विकास ब्लॉक/बीपीओ ब्लॉक/आगमन ब्लॉक/फूड कोर्ट/सुविधा ब्लॉक	100%	40%	पूरा कर लिया गया है
3	पार्किंग स्थान/स्वास्थ्य और फिटनेस स्थान/विश्राम कक्ष	75%	25%	मार्च 2018
4	जेनरेटर रूम/ इलेक्ट्रिक सबस्टेशन/एफओ जेनरेटर (एमएसईबी पावर बढ़ाने के लिए)/चिलर प्लांट/यूपीएस रूम/ डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन/ एचएसडी यार्ड	100%	30%	पूरा कर लिया गया है
5	सड़क प्रकाश और साइनेज के साथ आंतरिक सड़क	60%	40%	मार्च 2018
6	आईटी ब्लॉक के लिए सभी सिविल और आंतरिक कार्य/ विद्युत कार्य/बीएमएस/ एयर कंडीशनिंग/अग्नि सुरक्षा प्रणाली/वर्षा जल भंडारण	60%	20%	जून 2018

	टैंक/ गैस बैंक/जैव गैस संयंत्र			
7	भू-निर्माण/उद्यान की जगह का विकास	40%	30%	दिसम्बर 2018
8	मल-जल उपचार संयंत्र/जल उपचार संयंत्र	100%	50%	पूरा कर लिया गया है

देरी के लिए विस्तृत कारण :

1. इस परियोजना में पर्यावरण मंजूरी और बिजली और जल कनेक्शन के लिए अनुमति प्राप्त करने में हुए विलम्ब के कारण देरी हुई है।
2. विक्रेताओं के लिए जीएसटी प्रभावित नकद प्रवाह की शुरुआत के कारण देरी हुई।

डीसी द्वारा सिफारिश :

डीसी, इंदौर सेज ने एक वर्ष की अवधि के लिए 27.02.2019 तक एलओए के विस्तार के अनुरोध की सिफारिश की है, क्योंकि परियोजना पूरी होने के करीब है। डेवलपर ने परियोजना लागत के लगभग 97 प्रतिशत का निवेश कर लिया है।

अनुरोध बीओए के विचार के लिए रखा गया है।

(ii) मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का ग्राम बेहरमपुर, बलोला और बंधवरी, जिला गुड़गांव (हरियाणा) में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी/आईटीईएस सेज की स्थापना के लिए अनुरोध के औपचारिक अनुमोदन की वैधता के आगे 25.01.2018 से विस्तार करना।

डेवलपर का नाम : मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
क्षेत्र : इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी/आईटीईएस
स्थान : गांव बेहरमपुर, बलोला और बंधवारी, जिला गुड़गांव (हरियाणा)
एक्सटेंशन : डेवलपर को औपचारिक स्वीकृति 26.07.2007 को दी गई थी। डेवलपर को 07 एक्सटेंशन दिए गए हैं, अंतिम विस्तार 06.01.2017 को आयोजित बैठक में बीओए द्वारा दिया गया था जो 25.01.2018 तक था। डेवलपर ने 25.01.2019 तक और विस्तार के लिए अनुरोध किया है। एसईजेड आज की तारीख तक अधिसूचित है।

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यापार योजना का विवरण :

क्रम संख्या	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये में)
-------------	----------------	------------------------------------

1	भूमि लागत	300.00
2	निर्माण कार्य व्यय	2850.00
3	संयंत्र एवं मशीनरी	-
	उपरिव्यय	850.00
	कुल	4000.00

(ख) पिछले विस्तार के बाद से निवेश और अब तक बढ़ता निवेश :-

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपये में)	अंतिम विस्तार के बाद से बढ़ता निवेश (करोड़ रुपये में)
1	भूमि लागत	187.00	-
2	सामग्री अधिप्राप्ति	59.08	18.25
3	सेवा लागत	59.31	14.25
4	अन्य उपरिव्यय	34.57	21.79
	कुल	339.96	54.71

• अन्य ओवरहेड्स का विवरण :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपये में)	अंतिम विस्तार के बाद से बढ़ता निवेश (करोड़ रुपये में)
1	बैंक प्रभार	21.43	10.82
2	कर्मचारी वेतन और भत्ते	11.59	10.81
3	सुरक्षा शुल्क	0.17	0.13
4	आईटी व्यय	0.03	-
5	विविध	1.35	0.03
	कुल :	34.57	21.79

(ग) आज तक भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	तिथि के अनुसार प्रतिशत पूर्णता	पिछले एक वर्ष के दौरान प्रतिशत पूरा किया गया	शेष कार्य पूरा करने के लिए समय-सीमा
1	प्री-कास्ट फैक्टरी सेट-अप	100%	0%	
2	उत्खनन	100%	0%	
3	अलग फुटिंग्स (कार्यालय टॉवर नम्बर 1)	75%	16%	
4	प्रीकास्ट प्रोडक्शन वर्क	58%	41%	सितम्बर, 2018

	(ऑफिस टॉवर नम्बर 1)			
5	प्रीकास्ट निर्माण कार्य (कार्यालय टॉवर नम्बर 1)	26%	26%	सितम्बर, 2018

देरी के लिए प्रस्तुत कारण :

डेवलपर ने सूचित किया है कि मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड आईआरईओ समूह से जुड़ा हुआ है। आईआरईओ 1.7 अरब अमरीकी डालर के निवेश से भारतीय अचल संपत्ति प्रबंधन में अग्रणी डेवलपर और पीई निवेशक है। भारत भर में 4500+ एकड़ जमीन के स्वामित्व वाले पोर्टफोलियो का विविध पोर्टफोलियो और वैश्विक वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालय एंडोमेंट फंड, संप्रभु धन निधि इत्यादि जैसे ग्लोबल ब्लू चिप निवेशकों का आधार है। डेवलपर ने आगे बताया है कि 25.8093 हेक्टेयर के कुल अधिसूचित क्षेत्र में से 100 (100 के रूप में निर्धारित) प्रतिशत प्रसंस्करण क्षेत्र है शुरुआत में वे 5.0733 हेक्टेयर विकसित करने की योजना बना रहे हैं। डेवलपर ने उल्लेख किया कि निम्नलिखित विकास कार्य प्रगति पर है :

- बेसमेंट और सुपर संरचना सिविल कार्य
- नलसाजी, अग्निशमन और डब्ल्यूटीपी कार्य
- कम साइड और हाई साइड इलेक्ट्रिकल वर्क्स और फायर अलार्म सिसटम
- बेसमेंट वेंटिलेशन वर्क्स
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) वर्क्स – 425 केएलडी क्षमता
- निर्माण प्रबंधन प्रणाली
- प्रीकास्ट आरसीसी तत्वों को पीसना और चमकाना
- विद्युत कम वोल्टेज (ईएलवी) कार्य
- फिनिशिंग कार्य करना
- बाहरी सड़क विकास और स्ट्रीट लाइटिंग वर्क्स

डीसी द्वारा सिफारिश :

डीसी, एनएसईजेड ने 25.01.2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए एलओए के विस्तार के लिए अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध बीओए के विचार के लिए रखा गया है।

(iii) मैसर्स का प्रस्ताव महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, ग्राम कालवाड़ा, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विनिर्माण एसईजेड सहित आईटी/आईटीईएस की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि में विस्तार करने के लिए अनुरोध।

डेवलपर का नाम : मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड
क्षेत्र : सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विनिर्माण सहित आईटी/आईटीईएस

स्थान : गांव कालवाड़ा, तहसील-सांगानेर, जिला जयपुर (राजस्थान)
एक्सटेंशन : डेवलपर को औपचारिक स्वीकृति 04.01.2012 को दी गई थी। डेवलपर को 03 एक्सटेंशन दिए गए हैं, अंतिम विस्तार 06.01.2017 को आयोजित बैठक में बीओए द्वारा दिया गया था जो 02.01.2018 तक के लिए था। डेवलपर ने 01.01.2019 तक और विस्तार के लिए अनुरोध किया है। एसईजेड आज की तारीख तक अधिसूचित है।

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यापार योजना का विस्तृत विवरण :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये में)
1	भूमि लागत	12.49
2	निर्माण लागत और संयंत्र एवं मशीनरी	14.13
3	अन्य ओवरहेड्स (ब्याज)	13.38
	कुल	40.00

(ख) पिछले विस्तार के बाद से निवेश और अब तक बढ़ता निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपये में)	अंतिम विस्तार के बाद से बढ़ता निवेश (करोड़ रुपये में)
1	भूमि लागत	12.49	0.00
2	सामग्री खरीद और सेवा लागत	1.24	0.00
3	अन्य ओवरहेड्स (ब्याज)	12.35	5.39
	कुल	26.08	5.39

(ग) आज तक भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	तिथि के अनुसार प्रतिशत पूर्णता	पिछले एक वर्ष के दौरान प्रतिशत पूरा किया गया	शेष कार्य पूरा करने के लिए समय-सीमा
1	मल्टी उत्पाद एसईजेड में सेक्टर विशिष्ट एसईजेड के विलय के लिए स्वीकृति*	बहु-उत्पाद एसईजेड के लिए अधिसूचना	मल्टी-उत्पाद एसईजेड के लिए स्वीकृति जारी की गई है	जनवरी, 2018

2	चारदीवारी	100%	70%	विलय हो जाएगा और अप्रैल, 2018 तक बहु-उत्पाद का हिस्सा बन जाएगा
3	सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण	50%	20%	अक्टूबर, 2018
4	सीवरेज और पानी की आपूर्ति	100% योजना भाग पूरा हो गया	-	दिसम्बर, 2018

देरी के लिए प्रस्तुत कारण :

06.01.2017 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के को गांव कालवाड़ा, झाई, भांबोरिया, बागरु खुर्द और न्यूटा, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) एसईजेड नियम 2006 के नियम 5(2) (डी) के तहत एक मल्टी-उत्पाद एसईजेड (604.5836 हेक्टेयर के क्षेत्र में) में अपने पांच एसईजेड (आईटी/आईटीईएस एसईजेड, इंजीनियरिंग और संबंधित इंडस्ट्रीज एसईजेड, हस्तशिल्प सेज, जेम एंड ज्वैलरी एसईजेड और आईटीईएस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विनिर्माण एसईजेड सहित) के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, बीओए ने डेवलपर को 18.08.2009 दिनांकित निर्देश संख्या 27 पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन करके विलय किए गए एसईजेड में संगतता बनाए रखने का निर्देश दिया। 28.02.2017 के एनएसईजेड पत्र के माध्यम से बीओए की मंजूरी डेवलपर को दी गई थी। एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11(2) में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार डेवलपर से अनुमोदित मल्टीप्रॉडक्ट एसईजेड की पूरी चारदीवारी को पूरा करने का भी अनुरोध किया गया था। विलय कर दिया गया। विलय कर दिया गया बहु-उत्पाद सेज की अधिसूचना के लिए प्रस्ताव अभी तक वाणिज्य विभाग प्राप्त किया जाना है।

डीसी द्वारा सिफारिश :

डीसी, एनएसईजेड ने 30.01.2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए एलओए के विस्तार के लिए अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध बीओए के विचार के लिए रखा गया है।

(iv) मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, ग्राम भांबोरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) में रत्न और आभूषण एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि में विस्तार के लिए अनुमोदन से संबंधित।

डेवलपर का नाम : मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड
क्षेत्र : रत्न और आभूषण

स्थान : गांव भांबोरिया, तहसील-सांगानेर, जिला जयपुर (राजस्थान)
एक्सटेंशन : 02.02.2011 को डेवलपर को औपचारिक स्वीकृति को दी गई थी। डेवलपर को 04 एक्सटेंशन दिए गए हैं, अंतिम विस्तार 06.01.2017 को आयोजित बैठक में बीओए द्वारा दिया गया था जो 31.01.2018 तक के लिए था। डेवलपर ने 30.01.2019 तक और विस्तार के लिए अनुरोध किया है। एसईजेड आज की तारीख तक अधिसूचित है।

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यापार योजना का विस्तृत विवरण :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये में)
1	भूमि लागत	2.40
2	निर्माण लागत और संयंत्र एवं मशीनरी	5.10
3	अन्य ओवरहेड्स (ब्याज)	2.50
	कुल	10.00

(ख) पिछले विस्तार के बाद से निवेश और अब तक बढ़ता निवेश :-

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपये में)	अंतिम विस्तार के बाद से बढ़ता निवेश (करोड़ रुपये में)
1	भूमि लागत	2.40	0.00
2	सामग्री खरीद और सेवा लागत	0.52	0.00
3	अन्य ओवरहेड्स (ब्याज)	3.65	1.64
	कुल	6.57	1.64

(ग) आज तक भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	तिथि के अनुसार प्रतिशत पूर्णता	पिछले एक वर्ष के दौरान प्रतिशत पूरा किया गया	शेष कार्य पूरा करने के लिए समय-सीमा
1	मल्टी उत्पाद एसईजेड में सेक्टर विशिष्ट एसईजेड के विलय के लिए स्वीकृति*	बहु-उत्पाद एसईजेड के लिए अधिसूचना	मल्टी-उत्पाद एसईजेड के लिए स्वीकृति जारी की गई है	जनवरी, 2018

2	चारदीवारी	100%	70%	विलय हो जाएगा और अप्रैल, 2018 तक बहु-उत्पाद का हिस्सा बन जाएगा
3	सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण	5%	5%	अक्तूबर, 2018
4	सीवरेज और पानी की आपूर्ति	100% योजना भाग पूरा हो गया	-	दिसम्बर, 2018

देरी के लिए प्रस्तुत कारण :

06.01.2017 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड को गांव कालवाड़ा, झाई, भांबोरिया, बागरु खुर्द और न्यूटा, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) एसईजेड नियम 2006 के नियम 5(2) (डी) के तहत एक मल्टी-उत्पाद एसईजेड (604.5836 हेक्टेयर के क्षेत्र में) में अपने पांच एसईजेड (आईटी/आईटीईएस एसईजेड, इंजीनियरिंग और संबंधित इंडस्ट्रीज एसईजेड, हस्तशिल्प सेज, जेम एंड ज्वैलरी एसईजेड और आईटीईएस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विनिर्माण एसईजेड सहित) के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, बीओए ने डेवलपर को 18.08.2009 दिनांकित निर्देश संख्या 27 पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन करके विलय किए गए एसईजेड में संगतता बनाए रखने का निर्देश दिया। 28.02.2017 के एनएसईजेड पत्र के माध्यम से बीओए की मंजूरी डेवलपर को दी गई थी। एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11(2) में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार डेवलपर से अनुमोदित मल्टीप्रॉडक्ट एसईजेड की पूरी चारदीवारी को पूरा करने का भी अनुरोध किया गया था। विलय कर दिया गया। मल्टी-उत्पाद एसईजेड की अधिसूचना का प्रस्ताव अभी तक डीओसी में प्राप्त नहीं हुआ है।

डीसी द्वारा सिफारिश :

डीसी, एनएसईजेड ने 30.01.2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए एलओए के विस्तार के लिए अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध बीओए के विचार के लिए रखा गया है।

(v) मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 17.0901 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मंजूरी बुद्रक, तालुका हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बायोटेक्नालोजी के लिए क्षेत्र विशिष्ट सेज की स्थापना के लिए 27 मार्च, 2018 से परे मंजूरी देना।

डेवलपर का नाम : मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
क्षेत्र : जैव प्रौद्योगिकी

स्थान : मंजरी बुद्रक, तालुका हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र
एक्सटेंशन : विकासकर्ता औपचारिक अनुमोदन 27 मार्च, 2012 को प्रदान किया गया था। डेवलपर तीन एक्सटेंशन दिए गए जिनीक वैधता अवधि 27 मार्च, 2018 तक। डेवलपर ने 27 मार्च, 2020 तक परियोजना को लागू करने के लिए आगे विस्तार के लिए अनुरोध किया है। एसईजेड आज की तारीख में अधिसूचित है।

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यापार योजना का विस्तृत विवरण :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (लाख रुपये में)
1	भूमि लागत : 30.11.2017 तक भूमि में किया गया निवेश (लीज किराया भुगतान)	123.81
2	निर्माण लागत : 30.11.2017 को आधारभूत संरचना में किया गया निवेश। प्रसंस्करण क्षेत्र में 4 इमारतों का निर्माण जिनका क्षेत्रफल 87,176,96 वर्ग मीटर है और अन्य उपयोगिता आधारभूत संरचना जो प्रगति पर है।	34,567.00
	कुल	34,690.81

(ख) पिछले विस्तार के बाद से निवेश और अब तक बढ़ता निवेश :-

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (लाख रुपये में)	अंतिम विस्तार के बाद से बढ़ता निवेश (लाख रुपये में)
1	भूमि लागत	123.81	51.27
2	सामग्री अधिप्राप्ति	34,567.00	13,167.00
3	निर्माण	34,690.81	13,218.27
	कुल	69381.62	26,436.54

(ग) आज तक भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	तिथि के अनुसार प्रतिशत पूर्णता	पिछले एक वर्ष के दौरान प्रतिशत पूरा किया गया	शेष कार्य पूरा करने के लिए समय-सीमा
1	एसईजेड का विकास	सीई प्रमाणपत्र के अनुसार	डेवलपर ने औपचारिक मंजूरी के आखिरी विस्तार में प्रस्तुत किया है कि 7 इमारतों का	31.03.2020

		61.55 प्रतिशत	निर्माण 71468.96 वर्ग मीटर में लगभग पूरा हो चुका है और एक और इमारत 15708 वर्ग मीटर का लगभग पूरी होने वाली है जो गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में है।	
--	--	---------------	--	--

वर्तमान भौतिक प्रगति का विवरण :

- (i) डेवलपर ने निर्माण सुविधाओं को समायोजित करने के लिए 4 विशाल इमारतों और कुछ सहायक इमारतों का निर्माण किया है जिनका कुल क्षेत्रफल 1,34,550.87 वर्ग मीटर का है। अंतिम विस्तार और अब के बीच की अवधि के दौरान अब वृद्धिशील निर्माण 47,373.91 वर्ग मीटर है।
- (ii) उन्होंने मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसईजेड इकाई – पीबीपी-1) एलओए डीटी धारण 10.03.2016 की एक इकाई को 76,508.24 वर्ग मीटर के क्षेत्र को पट्टे पर दिया है।
- (iii) वे अब औद्योगिक बुनियादी ढांचे को पूरा करने की प्रक्रिया में हैं जैसे कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, बाँयलर हाउस, सॉल्वेंट्स भंडारण के लिए विशेष गोदाम, क्लास बी और क्लास सी प्रकार के हाइड्रोकार्बन, ब्रिकेट स्टोरेज सुविधा, कच्चे पानी की टंकी आदि के लिए गोदाम।

देरी के लिए प्रस्तुत कारण :

डेवलपर ने आगे कहा कि एमओडीसी और अन्य राज्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा किए गए लंबे समय के कारण, हालांकि एसईजेड को 2012 में अधिसूचित किया गया था, वास्तविक निर्माण गतिविधि केवल अगस्त, 2014 में शुरू की जा सकती है।

परियोजना के पूरा होने और इसे परिचालन करने के लिए समय-सीमा

डेवलपर ने कहा कि परियोजना के पूरा होने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा 31.03.2020 होगी।

डीसी द्वारा सिफारिश :

उपरोक्त को देखते हुए औपचारिक स्वीकृति डीटी के चौथे विस्तार के लिए डेवलपर का अनुरोध 27.03.2012 के वर्ष की अवधि 27.03.2019 के लिए सिफारिश की जाती है।

अनुरोध बीओए के विचार के लिए रखा गया है।

- (vi) मैसर्स ब्रुक फील्ड, गांव, कुंडलाहल्ली, होब्ली, कृष्णाराजपुरम, तालुक बेंगलौर दक्षिण, कर्नाटक में ब्रुकफील्ड्स रियल एस्टेट्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 31.03.2018 के आगे 31.09.2019 तक विस्तार करने के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) के विस्तार

डेवलपर का नाम : मैसर्स ब्रुकफील्ड्स रियल एस्टेट्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्षेत्र : आईटी/आईटीईएस/बीपीओ/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर

स्थान : गांव, कुंडलाहल्ली, होब्ली, कृष्णाराजपुरम, तालुक बेंगलौर दक्षिण, कर्नाटक

एक्सटेंशन : डेवलपर के लिए औपचारिक अनुमोदन पर 31 मार्च, 2010 को प्रदान किया गया था। डेवलपर को पांच विस्तार प्रदान किए गए जिनकी वैधता अवधि 31 मार्च, 2018 है।

निवेदन : 31.03.2019 तक 6 वर्ष के लिए आगे विस्तार के लिए अनुरोध।

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यापार योजना का विस्तृत विवरण :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये में)
1	भूमि लागत	200
2	निर्माण कार्य व्यय	1,044
	कुल	1,244

(ख) अब तक किया गया संवर्धनात्मक निवेश और पिछले विस्तार के बाद संवर्धनात्मक निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक 26 दिसम्बर, 2017 के लिए किया गया कुल निवेश (लाख/करोड़ रुपये में)	अंतिम विस्तार के बाद से बढ़ता निवेश (करोड़ रुपये में)
1	भूमि लागत	200	- (भूमि लागत पूरी तरह से खर्च की गई)
2	सामग्री अधिप्राप्ति	140	100
3	निर्माण		
	कुल	340	100

(ग) आज तक भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	प्रतिशत समापन	पिछले एक वर्ष के दौरान प्रतिशत पूरा किया गया	शेष कार्य पूरा करने के लिए समय-सीमा
1	उप-संरचना	75%	70%	30.06.2018
2	सुपर संरचना	15%	12%	31.12.2019

देरी के लिए प्रस्तुत कारण :

2015 में कंपनी में शेयरहोल्डिंग में बदलाव आया था जिसमें ब्रिगेड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड एक शेयरधारक बन गया और परियोजना के विकास की शुरुआत की। निर्माण शुरू करने के लिए विभिन्न मंजूरी में लगभग एक साल लग गया जिसके बाद निर्माण पूरे स्विंग में चल रहा है। परियोजना शेड्यूल के अनुसार प्रगति कर रही है और परियोजना स्थल पर निर्माण और विकास कार्यों को पूरी तरह से किया जा रहा है। सभी ब्लॉक निर्माणाधीन हैं और तेजी से निर्माण किया जा रहा है।

डीसी द्वारा सिफारिश :

डीसी, एनएसईजेड ने 30.01.2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए एलओए के विस्तार के लिए अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध बीओए के विचार के लिए रखा गया है।

आइटम नम्बर 81.2 : से परे आगे वर्ष एलओपी के विस्तार के लिए अनुरोध (4 प्रस्ताव)

(i) मैसर्स बंगाल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विकास निगम लिमिटेड (वेबेल लिमिटेड), मैसर्स एमएल डालमिया एंड कंपनी आईटी/आईटीईएस एसईजेड में एक यूनिट था 22.04.2017 से आगे एक वर्ष के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) के लिए अनुरोध

- यूनिट का नाम : मैसर्स पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विकास निगम (वेबेल) लिमिटेड
- एलओपी जारी : 22.04.2013
- व्यवसाय की प्रकृति : आईटी/आईटीईएस
- क्षेत्र : 1 एकड़ (कुल विनिर्मित क्षेत्र 50,000 वर्ग फुट 5 मंजिला भवन)
- विस्तार : एसईजेड इकाई को स्वीकृति पत्र 18.04.2013 को दिया गया था। इकाई को 3 (तीन) विस्तार दिए गए। इकाई ने 22.04.2017 से परे एक वर्ष के लिए आगे विस्तार के लिए अनुरोध किया है।

बुनियादी तथ्य :

- एसईजेड इकाई को 22.04.2013 को विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड द्वारा अनुमोदन पत्र दिया गया था।
- 24.06.2014 के उनके पत्र के माध्यम से यूनिट के अनुरोध पर अनुमोदन पत्र की वैधता विकास आयुक्त, फाल्टा सेज द्वारा 22.04.2015 तक (पहला विस्तार) अर्थात एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी।

- 29.10.2015 के अपने पत्र के माध्यम से एसईजेड इकाई के अनुरोध पर अनुमोदन पत्र की वैधता एक वर्ष यानी डीसी, एफएसईजेड द्वारा 22.04.2016 (दूसरा विस्तार) तक बढ़ा दी गई थी।
- 17.06.2016 को उनके पत्र के माध्यम से एसईजेड इकाई के अनुरोध पर स्वीकृति पत्र की वैधता को बीओए मीटिंग 09.11.2016 को आयोजित में अनुमोदन के आधार पर 05.12.2016 के पत्र के तहत डीओसी द्वारा 22.04.2017 (तीसरा विस्तार) तक एक वर्ष तक बढ़ाया गया था।
- इकाई ने 23.03.2017, 18.04.2017 के पत्र के अनुसार और 27.11.2017 के ई-मेल ने 22.04.2017 से चौथे विस्तार के लिए अनुरोध किया था।

प्रक्षेपण :

	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	कुल
निर्यात (करोड़ों में)	66.14	132.28	132.28	132.28	132.28	595.29
रोजगार	1000	2500	2500	2500	2500	

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यापार योजना का विस्तृत विवरण :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये में)
1	आईटी भवन का निर्माण	19.08 करोड़
2	चाहरदीवारी	0.45 करोड़
	कुल	19.53 करोड़

(ख) पिछले विस्तार के बाद से किया गया बढ़ता निवेश और वृद्धिशील निवेश :-

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ों रुपये में)	अंतिम विस्तार के बाद से बढ़ता निवेश (करोड़ रुपये में)
1	पिलिंग (218 नम्बर)	2.1 करोड़	2.1 करोड़
	कुल	2.1 करोड़	2.1 करोड़

(ग) आज तक भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	गतिविधि	प्रतिशत समापन	पिछले एक वर्ष के दौरान प्रतिशत पूरा किया गया	शेष कार्य पूरा करने के लिए समय-सीमा
1	पिलिंग (218 नम्बर)	100%	100%	31.12.2017

कुल	100%	100%	
-----	------	------	--

परियोजना में देरी के लिए विस्तृत कारण :

1. सीएलसी टैन्स एसोसिएशन और साइट पर निर्माण कार्य रोकने के लिए दायर टैन्री और अन्य संबद्ध उद्योगों के लिए पहले से निर्धारित भूमि में आईटी सेज के लिए भूमि आवंटित करने की औपचारिकता के सवाल पर पश्चिम बंगाल राज्य के खिलाफ कार्यकारी मजिस्ट्रेट 31.06.2016 को एलडी द्वारा एक निषिद्ध आदेश जारी किया गया।

वेबेल ने इस तथ्य को आईटी एंड ई विभाग पश्चिम बंगाल को 17.03.2016 को सूचित किया और आईटी तथा ई विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने एसडीओ और उप-मंडल मजिस्ट्रेट को 6.5.2016 को वेबेल को निर्माण कार्य की इजाजत देने के लिए एक पत्र लिखा।

एलडी उप-मंडल मजिस्ट्रेट, बरुपुर, दक्षिण 24 परगना के 13.06.2016 के आदेश के आधार पर निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया था। इसके अलावा उन्होंने संसाधनों को पुनर्जीवित करने में समय लगाया।

2. यह उम्मीद की जाती है कि निर्माण कार्य अप्रैल, 2018 के अंत तक पूरा हो सकता है और तदनुसार, परियोजना मई, 2018 तक परिचालित होने का लक्ष्य है।

डीसी द्वारा सिफारिश :

अंतिम विस्तार के बाद सीएलसी टैन्स एसोसिएशन द्वारा दायर सैनरी और अन्य संबद्ध उद्योगों के लिए पहले से निर्धारित भूमि में आईटी सेज में भूमि आवंटित करने के औचित्य के सवाल पर पश्चिम बंगाल राज्य के खिलाफ 2015 के डब्ल्यूपी नम्बर। 8239 (डब्ल्यू) में कार्यकारी मजिस्ट्रेट बरुईपुर एलडी द्वारा निषिद्ध आदेश के कारण यूनिट प्रगति नहीं कर सकी। स्थगन आदेश के पश्चात उप-मंडल मजिस्ट्रेट, बरुपुर, दक्षिण 24 परगना द्वारा स्थगन आदेश वापस ले लिए जानेक पर इकाई ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया।

22.04.2017 से आगे विस्तार की मांग में देरी के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

डीसी, एनएसईजेड ने बीओए द्वारा इस तरह के विस्तार की मंजूरी की तारीख से यूनिट के एलओए की वैधता बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध बीओए के विचार के लिए रखा गया है।

- (ii) नोएडा एसईजेड में इक्रिआन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) 28.02.2018 से आगे 28.02.2019 तक अनुमति पत्र (एलओपी) के विस्तार के लिए अनुरोध।

- एलओपी जारी करने की तारीख : 29.02.2012
- यूनिट के कारोबार की प्रकृति : आईटी/आईटीईएस
- विस्तार की संख्या : 5 (बीसी एनएसईजेड द्वारा 2, और 3 बीओए द्वारा)
- एलओपी वैधता की तारीख : 28.02.2018
- अनुरोध : 28.02.2019 तक, एक वर्ष के लिए आगे के विस्तार के लिए।

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यापार योजना का विस्तृत विवरण :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये में)
1	भूमि लागत	-
2	निर्माण कार्य व्यय	5.00
3	संयंत्र एवं मशीनरी	1.36
4	अन्य ओवरहेड्स	0.70
	कुल	7.06

(ख) पिछले विस्तार के बाद से किया गया बढ़ता निवेश और वृद्धिशील निवेश :-

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपये में)	अंतिम विस्तार के बाद से बढ़ता निवेश (करोड़ रुपये में)
1	भूमि लागत	शून्य	शून्य
2	निर्माण कार्य व्यय	2.52	2.21
3	संयंत्र एवं मशीनरी	-	-
4	अन्य ओवरहेड्स	0.18	0.01
	कुल	2.70	2.22

(ग) आज तक भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	तिथि के अनुसार प्रतिशत समापन	पिछले एक वर्ष के दौरान प्रतिशत पूरा किया गया	शेष कार्य पूरा करने के लिए समय-सीमा
1	संरचना	100%	37.50%	-
2	चारदीवारी	प्रक्रियाधीन	50%	-
3	आंतरिक कार्य	प्रक्रियाधीन	10%	मई, 2018 लंबित : फर्नीचर और फिक्चर की स्थापना का आदेश पहले से ही दे दिया गया। टाइल्स

				फ्लोरिंग प्रक्रिया के तहत विद्युत स्विच और वायरिंग कैमरों की स्थापना। एसी मशीनी की स्थापना का आदेश पहले से ही दे दिया गया। लिफ्ट की स्थापना, ट्रांसफार्मर और दो जनरेटर सेट की स्थापना।
--	--	--	--	--

देरी के लिए विस्तृत कारण :

इकाई ने परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए हैं :

1. यह कि दिनांक 26.09.2013 को प्रस्तुत भवन निर्माण परियोजना की स्वीकृति नवीन ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास प्रस्तुत किया गया ताकि एनएसईजेड के प्लॉट संख्या 96 पर नया भवन बनाया जा सके जो अंततः जुलाई, 2016 में ज्यादा विलंब के बाद प्राप्त किया गया। उन्होंने एनएसईजेड के प्लॉट संख्या 96 पर भवन निर्माण कार्य मंजूरी मिलने के तुरंत बाद शुरू कर दिया।
2. अब तक उन्होंने कुल 2.70 करोड़ रुपये का निवेश किया है और वे कार्य पूरा करने तथा अप्रैल-मई, 2018 तक कार्यात्मक होने की उम्मीद करते हैं।

डीसी द्वारा सिफारिश :

डीसी, नोएडा एसईजेड ने 28.02.2018 से 28.02.2019 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए एलओपी के विस्तार के अनुरोध की सिफारिश की।

अनुरोध बीओए के समक्ष उनके विचार के लिए रखा गया है।

(iii) इंदौर एमईजेड में मैसर्स कुसुम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड का 28.02.2018 से 28.02.2019 तक के एक वर्ष के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) के विस्तार के लिए अनुरोध।

- एलओपी जारी किया गया : 14.06.2010
- यूनिट के कारोबार की प्रकृति : गोलियां, कैप्सूल मलहम, सूखी सिरप और इंजेक्शन का विनिर्माण
- एक्सटेंशन की संख्या : मूल वैधता से परे डीसी इंदौर एसईजेड द्वारा 03 और बीओए (एसईजेड) द्वारा 04
- एलओपी वैध है : 28.02.2018 तक
- निवेदन : 28.02.2019 तक एक वर्ष के लिए आगे विस्तार के लिए अनुरोध

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यापार योजना का विस्तृत विवरण :

क्र.सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये में)
1	भूमि लागत	1.80
2	स्थल विकास और भवन निर्माण	45.00
3	संयंत्र एवं मशीनरी	31.00
4	विद्युत अवस्थापन	3.50
5	प्री-ऑपरेटिव व्यय/अन्य विविध/सीएपीईजेड	8.70
	कुल	90.00

(ख) पिछले विस्तार के बाद से किया गया संवर्धनात्मक निवेश :-

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपये में)	31.12.2017 तक अंतिम विस्तार के बाद से बढ़ता निवेश (करोड़ रुपये में)
1	भूमि	1.81	0.00
2	स्थल विकास और भवन निर्माण	45.15	6.70
3	संयंत्र एवं मशीनरी	31.33	17.80
4	विद्युत अवस्थापन	3.57	3.57
	प्री-ऑपरेटिव व्यय/अन्य विविध कैपेक्स	8.71	4.38
	कुल	90.57	32.45

(ग) आज तक भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	गतिविधि	प्रतिशत समापन	पिछले एक वर्ष के दौरान प्रतिशत पूरा किया गया	शेष कार्य पूरा करने के लिए समय-सीमा
1	भूमि	100%	-	पूरी तरह से पूरा
2	स्थल विकास और भवन निर्माण	100%	बिल्डिंग का शेष कार्य पूरा हो गया	पूरी तरह से पूरा
3	संयंत्र एवं मशीनरी	100%	प्लांट एंड मशीनरी का शेष कार्य पूरा हो गया	पूरी तरह से पूरा
4	विद्युत प्रतिष्ठापन	100%	विद्युत का शेष कार्य पूरा हो गया	पूरी तरह से पूरा
5	प्री-ऑपरेटिव व्यय/अन्य विविध कैपेक्स	100%	अन्य सीएपीएक्स का शेष कार्य पूरा हो गया	पूरी तरह से पूरा
	कुल	100%		पूरी तरह से पूरा

देरी के लिए विस्तृत कारण :

- एक फार्मास्युटिकल इकाई होने के नाते इस इकाई को एमएचआरए, एमसीसी/टीजीए, पीआईसी, एफडीए और डब्ल्यूएचओ जीएमपी जैसे विभिन्न नियामक प्राधिकरणों से अपनी विनिर्माण सुविधा की मंजूरी प्राप्त करनी है, जिनकी फार्म भरने की प्रक्रिया केवल विनिर्माण सुविधा के पूरा होने के बाद ही शुरू की जा सकती है।
- इकाई ने विभिन्न नियामक प्राधिकरणों के समक्ष आवेदन करने की तैयारी शुरू कर दी है और 6-9 महीने के समय में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की उम्मीद है। पिछले वर्ष के दौरान आदेशित मशीनों और उपयोगिताओं को फैक्ट्री परिसर में वितरित और स्थापित किया गया है। इकाई को प्रदर्शन-बैच आकर्षित करना है और विभिन्न एफडीए अधिकारियों के साथ फाइलिंग प्रक्रियाएं करना है, यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से इकाई शुरू नहीं हो सकी है और वर्तमान स्तर पर वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा नहीं कर सकती है। इकाई ने फरवरी, 2018 से परीक्षण चलाने के रूप में प्रदर्शनी-बैच लेने शुरू करने के लिए सुनिश्चित किया है और विभिन्न नियामक प्राधिकारियों से मंजूरी प्राप्त होने के बाद अक्टूबर, 2018 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है।

डीसी द्वारा सिफारिश :

डीसी इंदौर एसईजेड ने निम्नलिखित के संदर्भ में 28.02.2019 तक एक वर्ष की आगे की अवधि के लिए एलओपी के विस्तार के अनुरोध की सिफारिश की है :-

यूनिट ने 90.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की तुलना में 90.57 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। पिछले विस्तार के बाद से 32.45 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और परियोजना की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत है।

अनुरोध बीओए के समक्ष उनके विचार के लिए रखा गया है।

(iv) **मैसर्स मैक्सन कोलोरकेम प्राइवेट लिमिटेड, दहेज-सेज, भरुच, गुजरात को दिनांक 06.02.2013 को जारी किए गए स्वीकृति पत्र की वैधता में विस्तार।**

मैसर्स मैक्सन कोलोरकेम प्राइवेट लिमिटेड को दहेज-एसईजेड, भरुच में "1) सल्फानिलिक एसिड (नमक), 2) पीसीओएसए, 3) शेफेर्स नमक, 4) फ्लोरोसिसन श्रृंखला, 5) रंगीन, थर्मल पेपर कोटिंग के निर्माण और निर्यात के लिए एक नई इकाई की स्थापना के लिए दिनांक 06.02.2013 को स्वीकृति पत्र दिया गया था।

मैसर्स मैक्सन कोलोरकेम प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध, प्लॉट संख्या : जेड/12/2, दहेज एसईजेड का स्वीकृति पत्र (एलओए) पांचवें वर्ष से एक वर्ष के 30.11.2017 और 19.12.2017 के विस्तार के लिए 05.02.2018 तक उनके पत्रों के 30 दिनों के लिए प्राप्त किया गया है। विवरण निम्नानुसार है :

- एलओए जारी (दिनांक) : 06.02.2013

- यूनिट के कारोबार की प्रकृति : रंगों और रंगों के इंटरमीडिएट्स का विनिर्माण
- विस्तार की संख्या : डीसी दहेज सेज द्वारा एक और बीओए द्वारा दो
- अनुमति पत्र वैध (दिनांक) 05.02.2018 तक मान्य है
- अनुरोध : (दिनांक) 05.02.2019 तक एक वर्ष के लिए आगे के विस्तार के लिए अनुरोध।

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यापार योजना का विस्तृत विवरण :

क्र.सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये में)
1	भूमि/सिविल निर्माण	16 करोड़
2	मशीनरी	12 करोड़
	कुल	28 करोड़

(ख) अब तक किया गया संवर्धनात्मक निवेश और पिछले विस्तार के बाद वृद्धिशील निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपये में)	अंतिम विस्तार के बाद से बढ़ता निवेश (करोड़ रुपये में)
1	भूमि/सिविल निर्माण	16 करोड़	14 करोड़
2	मशीनरी	12 करोड़	6 करोड़
	कुल	28 करोड़	20 करोड़

(ग) आज तक भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	गतिविधि	प्रतिशत समापन	पिछले एक वर्ष के दौरान प्रतिशत पूरा किया गया	शेष कार्य पूरा करने के लिए समय-सीमा
1	निर्माण	90%	90%	फरवरी, 2018
2	मशीनरी	60%	60%	मार्च, 2018

देरी के लिए विस्तृत कारण :

विस्तारित मानसून सीजन, निर्माण कार्य धीमा हो गया।

मैसर्स मैक्सन कोलोरकेम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए उपरोक्त निवेश और विकास गतिविधियां को ध्यान में रखते हुए, उनके मामले को उनकी दिनांक 06.02.2013 की वैधता को एक वर्ष तक (05.02.2018 तक बढ़ाया गया) और उसके उपरांत केएलओ की वैधता एक

वर्ष की आगे की अवधि अर्थात् 05.02.2019 तक में विस्तार के लिए अनुमोदन बोर्ड को अनुशंसा की जाती है।

अनुरोध बीओए के विचार के लिए रखा गया है।

मद संख्या 81.3 सह-डेवलपर के लिए अनुरोध (4 प्रस्ताव)

(i) मैसर्स सिनर्जी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का आईटी/आईटीईएस इकाइयों के लिए इमारतों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एमआईडीसी आईटी/आईटीईएस/एसईजेड, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क चरण-III, हिंजवेदी, पुणे में सह-विकासक स्थिति के लिए आईटी/आईटीईएस यूनिट की जगह का विकास करने और 5.2161 वर्ग मीटर में सभी डिफॉल्ट क्षेत्रफल के लिए अधिकृत संचालन हेतु अनुरोध।

ऊपर उल्लिखित सेज का 223.56 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 6 जुलाई, 2007 को अधिसूचित किया गया था।

मैसर्स सिनर्जी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 5.2161 वर्ग मीटर के क्षेत्र में आईटी/आईटीईएस इकाइयों के लिए भवनों और संबंधित अवसंरचना के निर्माण के लिए उपरोक्त एसईजेड में एक सह-डेवलपर बनने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकास के साथ सह-विकासक समझौता 28.11.2017 को किया गया। एसईजेड में सह-डेवलपर द्वारा निवेश की प्रस्तावित राशि 153.66 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, लीज डीड एमआईडीसी और मैसर्स सिनर्जी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक 52161 वर्ग मीटर प्लॉट के लिए समझौता किया गया जिस पर 20 प्लॉट हैं।

रिकार्ड का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि मैसर्स सिनर्जी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को प्लॉट संख्या 20 के लिए 26.07.2011 को एक इकाई के मैसर्स सिनर्जी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड रूप में एलओए दिया गया था और इसे 10.07.2014 को रद्द कर दिया गया क्योंकि इकाई निर्धारित समय-सीमा में परियोजना को लागू करने में विफल रही।

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि मैसर्स सिनर्जी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को एक बार फिर इसी भूखंड यानी 20 के लिए स्वीकृति पत्र को 06.06.2017 को यूनिट के रूप में स्वीकृति पत्र दिया गया था और इस संबंध में भूमि आवंटन आदेश प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, आज तक इकाई ने इस कार्यालय के साथ बांड-सह-एल्यूटी को निष्पादित नहीं किया है।

मैसर्स सिनर्जी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक) ने अब एक ही भूखंड यानी प्लॉट संख्या 20 पर सह-विकासक स्थिति प्रदान करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है।

डीसी की सिफारिश :

उपरोक्त को देखते हुए आवेदक अर्थात मैसर्स सिनर्जी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड के सह-डेवलपर स्थिति के अनुरोध को डीबी, सीपज सेज ने स्वीकृति बोर्ड को विचार के लिए सिफारिश की है।

मैसर्स सिनर्जी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया सह-डेवलपर की स्थिति के अनुमोदन को स्वचालित रूप से रद्द कर दिया गया।

सह-डेवलपर का अनुरोध बीओए के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(ii) लोमा आईटी पार्क भवन निर्माण और आईई/आईटीईएस इकाइयों के लिए भवनों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एसईजेड, आईटी/आईटीईएस यूनिट की जगह का विकास और जी 4/1, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र घसोली, नवी मुंबई के लिए मैसर्स लोमा सह-डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में सभी डिफाल्ट अधिकृत संचालन का सह-डेवलपर के लिए अनुरोध।

ऊपर उल्लिखित सेज को 15 मार्च, 2016 को 6.5 हेक्टेयर के लिए अधिसूचित किया गया था।

मैसर्स लोमा सह-डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इमारतों के निर्माण आईटी/आईटीईएस इकाइयों के लिए बिल्डिंग नम्बर क्यू 1 के लिए 1.39 हेक्टेयर क्षेत्र में संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उपरोक्त एसईजेड में एक सह-डेवलपर बनने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासकर्ता के साथ सह-निर्माता समझौता दिनांकित 26.12.2017 किया गया। एसईजेड में सह-डेवलपर द्वारा निवेश की प्रस्तावित राशि 125 करोड़ रुपये है।

डीसी की सिफारिश :

उपरोक्त को देखते हुए आवेदक अर्थात मैसर्स लोमा सह-डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड सह-डेवलपर स्थिति के अनुरोध के लिए सीपजसेज ने स्वीकृति बोर्ड को विचार के लिए सिफारिश की है।

सह-डेवलपर का अनुरोध बीओए के विचार के पास प्रस्तुत कर दिया गया है।

(iii) लोमा आईटी पार्क में भवन निर्माण की स्थिति के लिए और आईई/आईटीईएस इकाइयों के लिए भवनों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एसईजेड, आईटी/आईटीईएस यूनिट की जगह का विकास करने और जी 4/1, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र घसोली, नवी मुंबई में सभी डिफाल्ट अधिकृत संचालन के लिए 6.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का अनुकूलन के लिए मैसर्स लोमा सह-डेवलपर्स 2 प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

ऊपर उल्लिखित सेज पर 15 मार्च, 2016 को 6.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था।

मैसर्स लोमा सह-डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 1.86 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 1.86 हेक्टेयर क्षेत्र आईटी/आईटीईएस इकाइयों के लिए भवन एवं अन्य अवसंरचना का निर्माण करने के लिए उपर्युक्त क्षेत्र में सह-विकासकर्ता बनने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सह-निर्माता समझौते दिनांकित 26.12.2017 के साथ डेवलपर का प्रावधान किया गया है। एसईजेड में सह-डेवलपर द्वारा निवेश की प्रस्तावित राशि 250 करोड़ रुपये है।

डीसी की सिफारिश :

उपरोक्त को देखते हुए, आवेदक अर्थात् मैसर्स लोमा सह-डेवलपर्स 2 प्राइवेट लिमिटेड डेवलपर स्थिति पर डीसी सीपजसेज ने विचारार्थ स्वीकृति बोर्ड को सिफारिश की है।

सह-डेवलपर का अनुरोध बीओए के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(iv) मैसर्स का अनुरोध ब्लैक कैन्थन सेज प्राइवेट लिमिटेड का गांव ग्वाल पहाड़ी गुड़गांव, हरियाणा स्थित आईटी/आईटीईएस एसईजेड में मैसर्स एसएफ इन्सिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के सह-डेवलपर की स्थिति के लिए अनुरोध।

उपरोक्त गांव ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव (हरियाणा) में आईटी/आईटीईएस एसईजेड के मैसर्स एसएफ इन्सिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का आईटी/आईटीईएस सेज में 19.3028 के क्षेत्रफल में 17.12.2007 के राजपत्र अधिसूचना और तदुपरांत 27.30.2010 के क्षेत्र में 27.08.2010 की अधिसूचना के बाद अधिसूचित किया गया था।

मैसर्स ब्लैक कैन्थन सेज प्राइवेट लिमिटेड ने ब्लैक कैन्थन बिल्डिंग और उसके सहयोगी बुनियादी ढांचे और ब्लैक कैन्थन प्राइवेट कैपस लैंड के निर्माण, विकास पुनः विकास, संचालन, प्रबंधन और रख-रखाव के लिए (इसके बाद सामूहिक रूप से संदर्भित "ब्लैक कैन्थन अंडरटेकिंग" के रूप में) विद्युत और यांत्रिक प्रतिष्ठानों के रख-रखाव/संचालन/प्रबंधन, अग्नि का पता लगाने और अग्निशमन उपकरण, जल, आपूर्ति और अपशिष्ट निपटान प्रणाली और ब्लैक कैन्थन से संबंधित कार पार्किंग रिक्त स्थान और सुरक्षा और सफाई के प्रतिपादन सहित ब्लैक कैन्थन अंडरटेकिंग में सेवाएं और इसके अलावा एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 4.706 एकड़ के क्षेत्र में पात्र किरायेदारों और इस तरह की किरायेदारी के प्रबंधन के लिए ब्लैक कैन्थन अंडरटेकिंग के भीतर निर्मित/विकसित किए गए रिक्त स्थान/आधारभूत ढांचे को भी शामिल करते हुए उपर्युक्त एसईजेड में सह-डेवलपर बनने का प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

14.11.2017 को सह-डेवलपर समझौते के साथ डेवलपर के साथ प्रवेश किया गया है। एसईजेड में सह-डेवलपर द्वारा प्रस्तावित निवेश की राशि 725 करोड़ रुपये है।

डीसी की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह-डेवलपर का अनुरोध बीओए के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

मद संख्या 81 : एसईजेड की स्थापना के लिए प्रस्ताव (एक प्रस्ताव)

(i) मैसर्स अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड का गोड्डा जिला, झारखंड के क्षेत्र में 425 हेक्टेयर में एक क्षेत्र विशेष सेज की स्थापना करने के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन का प्रस्ताव।

क्र. सं.	डेवलपर का नाम	स्थान	सेक्टर	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमि का अधिग्रहण	राज्य सरकारी की संस्तुति
(i)	मैसर्स अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड	गोदादा जिला, झारखंड	पावर	425	*	नहीं

*डेवलपर झारखंड सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है जिसके लिए झारखंड सरकार ने पहले ही अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं।

- (i) प्रस्तावित निवेश : 15002 करोड़ रुपये
- (ii) परियोजना के प्रोजेक्टेड नियोक्ता : डायरेक्ट -199 और अप्रत्यक्ष - 15000
- (iii) विदेशी निवेश : शून्य
- (iv) एसईजेड नियम, 2006 के नियम 6(i) के अनुसार - केंद्र सरकार अधिनियम 3 की उपधारा (9) के खंड (क) या खंड (ख) के तहत प्राप्त पत्र के तीस दिनों की अवधि के भीतर, अनुदान में सिद्धांत एपी फार्म बी में व्यक्ति को या राज्य सरकार का संबंध को शामिल अतिरिक्त शर्तों यदि कोई, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन, यदि डेवलपर के कब्जे में भूमि नहीं है।

डीसी एफएसईजेड ने प्रस्ताव को अग्रेषित कर दिया है।

बीओए के विचार के लिए डेवलपर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

मद संख्या 81.4 : शेयरहोल्डिंग पैटर्न मामलों में परिवर्तन (12 प्रस्ताव)

(i) मैसर्स अमेक्स टेकफैब प्राइवेट लिमिटेड का एलओए का विस्तार करने के लिए अनुरोध निदेशकों में परिवर्तन और औद्योगिक लाइसेंस अनुदान में परिवर्तन के साथ शेयरहोल्डिंग पैटर्न में 100 प्रतिशत परिवर्तन।

- एलओपी जारी : 25.04.2006
- यूनिट के कारोबार की प्रकृति : घरेलू वस्त्र मेड-अप कपड़ों, समान सुरक्षा जैकेट और सहायक उपकरण - रक्षा का विनिर्माण और निर्यात
- एलओपी वैध : 21.09.2014
- अनुरोध : एलओए के विस्तार के लिए निदेशकों में परिवर्तन और औद्योगिक लाइसेंस देने में परिवर्तन के साथ शेयरहोल्डिंग पैटर्न में 100 प्रतिशत परिवर्तन

- निदेशकों में परिवर्तन का विवरण निम्नानुसार है :

परिवर्तन से पहले निदेशक	परिवर्तन के बाद निदेशक
1. श्री राहुल भटनागर	1. श्री राहुल भटनागर
2. श्री रवि यादव	2. श्रीमती छाया देवी
3. श्री सोम प्रकाश सेठी	3. श्रीमती बाबिता वत्सा
4. श्री प्रदीप कुमार सेठी	
5. श्री रमन सेठी	
6. श्री अमन सेठी	
7. श्री एम. एस. सगागु	

- कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है :

हस्तांतरण से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

शेयरधारक का नाम	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
1. अवधेश चतुर्वेदी	1.5%
2. अनूप चतुर्वेदी	0.5%
3. पायर भटनागर	6%
4. एम. एस. सगागु	1%
5. माखन चतुर्वेदी	0.2%
6. अमेश झा	0.2%
7. श्रीकांत चतुर्वेदी	0.2%
8. हेमंत चतुर्वेदी	0.2%
9. अर्जुन चतुर्वेदी	0.2%
10. प्रदीप कुमार सेठी	12%
11. अमन सेठी	12%
12. रमन सेठी	12%
13. त्रिप्ता सेठी	19%
14. राहुल भटनागर	5%
15. नीलिमा चतुर्वेदी	4.5%
16. सोहित चतुर्वेदी	3%
17. अंजू चतुर्वेदी	22.5%

हस्तांतरण के बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

शेयरधारक का नाम	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
1. बबिता वत्स	40%
2. छाया देवी	60%

यह नोट किया जा सकता है कि जून, 2014 से, बुलेट प्रूफ जैकेट और रक्षा वस्तुओं से संबंधित अन्य सुरक्षात्मक गियर के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।

डीसी द्वारा सिफारिश :

डीसी, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सिफारिश के कारण :

डीसी, एनएसईजेड ने कहा है कि :

- मैसर्स अमेक्स टेकफैबे प्राइवेट लिमिटेड को होमटेक्सटाइल्स, मेडअप्स क्लॉपिंग, यूनीफार्म सेफ्टी जैकेट्स एवं अनुषंगी रक्षा का विनिर्माण करने और निर्यात करने के लिए दिनांक 25.04.2006 को अनुमोदन पत्र जारी किया गया था।
- यूनिट ने 22.09.2009 के अपने पत्र के अनुसार 22.09.2009 को उत्पादन शुरू करने की तिथि (डीसीपी) का दावा किया था। एनएसईजेड ने डीसीपी को 22.9.2009 के रूप में लिया है। एनएसईजेड ने 21.09.2014 तक पांच वर्ष तक डीसीपी के आधार पर एलओए को पुनर्वेध किया था।
- डीसी, एनएसईजेड ने कहा है कि 24.03.2012 को तीसरे पक्ष को 3,79,185/-रुपये के निर्यात के लिए शिपिंग बिल की एक प्रति एनएसडीएल प्राप्त हो गई है।
- एनएसईजेड ने कहा है कि इकाई का एलओए 21.09.2014 को समाप्त हो गया और वर्तमान में इकाई काम नहीं कर रही है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, डीसी, नोएडा एसईजेड ने एलओए के विस्तार के लिए इकाई के अनुरोध की सिफारिश की है, निदेशकों और औद्योगिक लाइसेंस देने में परिवर्तन के साथ शेयरहोल्डिंग पैटर्न में 100 प्रतिशत परिवर्तन।

यह नोट किया गया है कि पहला निर्यात मार्च, 2012 में हुआ था, जबकि एनएसईजेड ने बीजोए की मंजूरी के बिना 25.04.2009 से आगे एलओए बढ़ा दिया। इसके अलावा, यूनिट ने औद्योगिकी लाइसेंस देने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज अभी तक जमा नहीं किए हैं।

अनुरोध बीओए के विचार के लिए रखा गया है।

(ii) यूनिट सूरत, एसईजेड के भूखंड संख्या 24,25,62,63 और 222 में स्थित एक का भागीदारी के संविधान के परिवर्तन और 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी के हस्तांतरण के लिए अनुरोध।

उपरोक्त उल्लिखित इकाई को सभी प्रकार के हीरे और आभूषणों के निर्माण और स्टेड डायमंड, जेम स्टोन और अन्य कीमती स्टोन्स के विनिर्माण के लिए 18.07.2011 को मंजूरी पत्र दिया गया जो 18.12.2022 तक वैध है।

कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है :

हस्तांतरण से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम (श्री)	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
1	बकुलमाई चतुरमाई लिम्बासिया, भागीदार	29.10%
2	शैलेशभाई भोगीभाई पटेल, भागीदार	7.27%
3	सुनीलभाई भोगीभाई पटेल, भागीदार	7.27%
4	कुलदीस हस्मुचेभाई खिचडिया, भागीदार	6.26%
5	मुकेशभाई नानुभाई देसाई, भागीदार	50.00%
	कुल	100%

स्थानांतरण (01.04.2017 से) के बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	टिप्पणियां
1	शैलेशभाई भोगीभाई पटेल, भागीदार	7.27%	भागीदार के रूप में दृढ़ता से जारी है
2	सुनीलभाई भोगीभाई पटेल, भागीदार	7.27%	भागीदार के रूप में दृढ़ता से जारी है
3	कुलदीस हस्मुचेभाई खिचडिया, भागीदार	6.36%	भागीदार के रूप में दृढ़ता से जारी है
4	चिराग बकुलभाई लिम्बासिया, भागीदार	29.10%	नया शेयरधारक
5	हर्ष मुकेशभाई देसाई, भागीदार	50.00%	नया शेयरधारक
	कुल	100%	

यूनिट के भागीदारों के नाम परिवर्तन को फर्मों के रजिस्ट्रार सूरत द्वारा प्रमाणित किया गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, शेयरहोल्डिंग पैटर्न में 50 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन हैं, शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव के प्रस्ताव की सिफारिश की जाती है।

अनुरोध बीओए के विचार के लिए रखा गया है।

(iii) सूरत एसईजेड के प्लॉट संख्या 193 में स्थित यूनिट संख्या 101 मैसर्स सागर डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड को निजी सीमित कंपनी से सार्वजनिक सीमित कंपनी में परिवर्तन और 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी को अन्य इकाई में स्थानांतरित करने के लिए अनुरोध।

उपरोक्त उल्लिखित इकाई को 24.10.2016 के निम्नलिखित के निर्माण के लिए मंजूरी का पत्र दिया गया था (1) सोने के सादा आभूषण (2) डायमंड स्टेडगोल्ड गोल्ड आभूषण (3)

बहुमूल्य और अर्द्ध-मूल्यवान पत्थर और सीजेड डायमंड स्टेड गोल्ड आभूषण (4) डायमंड स्टेड सिल्वर आभूषण (5) रजत के सादा आभूषण और (6) बहुमूल्य और अर्द्ध-मूल्यवान पत्थर और सीजेड डायमंड स्टेड रजत आभूषण और यह 05.06.2022 तक मान्य है।

कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है :

हस्तांतरण से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम (श्री)	आयोजित शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
1	श्री वैभव दीपक शाह, निदेशक	9000	90 प्रतिशत
2	श्री रोहित लक्ष्मण खाडे, निदेशक	1000	10 प्रतिशत

स्थानांतरण के बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न (08.07.2017 से)

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	टिप्पणियां
1	श्री वैभव दीपक शाह, निदेशक	6227860	49.2563%	फर्म में निदेशक के रूप में जारी है
2	रहील हितेशभाई चोवातिया, निदेशक	3400	0.0269%	नया शेयरधारक
3	सागर हीरे एलएलपी	3001260	23.7379%	नया शेयरधारक
4	प्रिया धावल शाह	3400	0.0269%	नया शेयरधारक
5	हितेश पी चोवातिया	3400	0.0269%	नया शेयरधारक
6	मीटाबेन एच चोवातिया	3400	0.0269%	नया शेयरधारक
7	निधि एच चोवातिया	16660	0.1318%	नया शेयरधारक
8	धावल शाह	3400	0.0269%	नया शेयरधारक
9	सार्वजनिक होल्डिंग	3381000	26.7404%	नया शेयरधारक
	कुल	12643780	100%	

सागर डायमंड प्राइवेट लिमिटेड से कंपनी के नाम में सागर डायमंड लिमिटेड में परिवर्तन को 04.07.2017 से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अहमदाबाद द्वारा प्रमाणित किया गया है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, शेयरहोल्डिंग पैटर्न में 50 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन है, निजी सीमित कंपनी से सार्वजनिक सीमित कंपनी और शेयरहोल्डिंग पैटर्न से संविधान में परिवर्तन के प्रस्ताव की सिफारिश की जाती है।

अनुरोध बीओए के विचार के लिए रखा गया है।

(iv) 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी के हस्तांतरण के लिए प्लॉट जी-61, पाकेट-ए, एसईजेड मोरादाबाद में स्थित मोरादाबाद एसईजेड में एक इकाई मैसर्स गोल्डमाइन ओवरसीज का अनुरोध।

ऊपर उल्लिखित इकाई को पीतल, एल्युमिनियम, लोहे, लकड़ी, कॉपर, स्टील टिन, लैटर के बने हंडीक्राफ्ट्स होमडेकोर और होम फर्निशिंग का विनिर्माण और निर्यात करने के लिए मुरादाबाद एसईजेड के पाकेट-क के भूखंड संख्या जी-61 मुरादाबाद एसईजेड मुरादाबाद में स्थित एक इकाई के लिए दिनांक 16.06.2016 को अनुमोदन पत्र जारी किया गया था।

कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है :

हस्तांतरण से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिशत शेयर
श्री अनूप कुमार	-	60 प्रतिशत
श्री सुमित गर्ग	-	40 प्रतिशत

स्थानांतरण के बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न (01.04.2017 को) :

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिशत शेयर
श्री अनूप कुमार	-	40 प्रतिशत
श्री सुमित गर्ग	-	30 प्रतिशत
श्री पुल्लिकट गोयल	-	30 प्रतिशत

इस संबंध में, यह कहा गया है कि श्री अनूप कुमार 60 प्रतिशत हिस्से सेवानिवृत्त हुए और 30 प्रतिशत शेयर के साथ दो नए साझेदार शामिल किए गए हैं। शेयरहोल्डिंग पैटर्न का स्थानांतरण 50 प्रतिशत से अधिक है।

डीसी की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव बीओए के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(v) आईटी/आईटीईएस, सेज, गुड़गांव, हरियाणा स्थित डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड में स्थित एक यूनिट मैसर्स जॉन कील्स बीपीओ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अपने से अधिक शेयरों के हस्तांतरण करने के लिए और कंपनी के नाम को "पर्सनिव संपर्क केंद्र इंडिया प्राइवेट" में बदलने के लिए प्रस्तुत।

उपरोक्त इकाई को सेक्टर-24 और 25ए में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड, डीएलएफ चरण-III गुड़गांव (हरियाणा) में सेवा गतिविधियों अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के लिए आईटी/आईटीईएस एसईजेड में एक इकाई की

स्थापना के लिए 12.01.2011 दिनांक एलओए संख्या 10/338/2010-एसईजेड/366 दिया गया था। इस यूनिट का एलओए 23.03.2021 तक मान्य है।

कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है :

➤ स्थानांतरण से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न (10.10.2017 से पहले) :

शेयरधारक का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत शेयर
जॉन केल्स बीपीओ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	34973806	99.85%
सेरीन हालीडेज प्राइवेट लिमिटेड	51000	0.15%
कुल	35024806	100%

➤ स्थानांतरण से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न (10.10.2017 से पहले) :

शेयरधारक का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत शेयर
पर्सनिब कांटेक्ट सेंटर एलएलसी	34973806	99.85%
एजी रिसोर्सेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	51000	0.15%
कुल	35024806	100%

शेयरहोल्डिंग पैटर्न में 100 प्रतिशत परिवर्तनों पर कंपनी के नाम को "जॉन केल्स बीपीओ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से बदल कर "पर्सनल संपर्क केंद्र भारत प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है। इस संबंध में यूनिट ने "जॉन केल्स बीपीओ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से "पर्सनलिव संपर्क केंद्र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की है। 20.11.2007 को जो आरओसी, दिल्ली द्वारा जारी की गई।

23.03.2016 को आयोजित बैठक में दिए गए बीओए के दिशानिर्देश के अनुसार, अनुमोदन समिति द्वारा 50 प्रतिशत तक शेयरहोल्डिंग में नाम बदलने के मामले को तत्काल मामले में माना जा सकता है, इस मामले में, वहां से अधिक है कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में 50 प्रतिशत परिवर्तन, इसलिए 23.02.2016 को आयोजित बैठक में दिए गए अनुमोदन बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार बीओए की मंजूरी की आवश्यकता है।

डीसी की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव बीओए के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(vi) मैसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या 20 और 21, सेक्टर-135 के आईटी/ आईटीईएस सेज में एक इकाई राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच द्वारा 16/29.08.2017 के आदेश के अनुसार अनुमोदित। मैसर्स सोपरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मैसर्स स्टेरिया (इंडिया) लिमिटेड के साथ समामेलन की स्कीम के परिणामस्वरूप 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों का किसी अन्य निकाय में अंतरण के लिए प्रस्ताव।

उपरोक्त उल्लिखित इकाई को मैसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नम्बर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में सेवा गतिविधियों के लिए अर्थात् कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सर्विसेज जिसमें सूचना समर्थित सेवाओं जैसे सामग्री सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा प्रोसेसिंग, इंजीनयरिंग और डिजाइन, बैंक ऑफिस ऑपरेशंस के लिए 15.02.2016 को आईओ/आईटीईएस एसईजेड में एक इकाई की स्थापना के लिए एलओए दिया गया था।

कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है :

- परियोजना अनुप्रयोग के समय, मैसर्स सोपरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का फरवरी, 2016 में शेयरहोल्डिंग पैटर्न निम्नानुसार था :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम और पता	शेयरों की संख्या	प्रतिशत शेयर
1.	सोपरा इंडिया समूह एसए, फ्रांस	1730721	99.99%
2.	सोपरा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, यूके	100	0.01%
	कुल	1730821	100.00%

- अक्टूबर, 2016 में, मैसर्स सोपरा स्टेरिया समूह एसए, फ्रांस ने अपना कुल शेयरधारक मैसर्स सोपरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से स्टेरिया (इंडिया) लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया और मैसर्स सोपरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अक्टूबर, 2016 में संशोधित शेयरहोल्डिंग पैटर्न नीचे दिया गया था :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम और पता	शेयरों की संख्या	प्रतिशत शेयर
1.	स्टेरिया (इंडिया) लिमिटेड	1730721	99.99%
2.	श्री अनिल चावला [स्टेरिया (इंडिया) लिमिटेड के नामांकित के रूप में]	100	0.01%
	कुल	1730821	100.00%

इकाई ने कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में उपरोक्त परिवर्तनों के लिए सूचना प्रस्तुत नहीं की थी।

- मैसर्स सोपरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मैसर्स स्टेरिया (इंडिया) लिमिटेड के साथ 16/29.08.2017 के आदेश के समामेलन के अनुमोदन के बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न (31.08)2017 को निम्नलिखित है :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम और पता	शेयरों की संख्या	प्रतिशत शेयर
1.	स्टेरिया यूके कारपोरेट लिमिटेड, यूके (होल्टिंग कंपनी)	1,42,95,750	99.99986%
2.	6 कर्मचारी शेयरधारक	20	0.00014%
	कुल	1,42,95,770	100.00%

शेयरहोल्टिंग में बदलाव के कारण :

यूनिट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित सोपरा इंडिया लिमिटेड (समामेलित कंपनी) का मैसर्स स्टेरिया (इंडिया) लिमिटेड (अमलगमेटेड/अंतरिती कंपनी) मैसर्स के साथ समामेलन की योजना के अनुमोदन के लिए 16/29.08.2017 के आदेश की प्रति प्रस्तुत की है। सोपरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मैसर्स स्टेरिया (इंडिया) लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना के अनुमोदन के पश्चात इकाई के शेयरहोल्टिंग पैटर्न को भी उपरोक्त सीमा में बदल दिया गया है।

इकाई ने स्पष्ट किया है कि सोपरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और स्टेरिया इंडिया (इंडिया) लिमिटेड सोपरा इंडिया प्राइवेट के लिए एसईजेड इकाई की स्थापना से पहले भी समान समूह और प्रबंधन के अधीन रहे हैं। दोनों इकाई के लिए अंतिम मूल कंपनी सोपरा स्टेरिया समूह एसए, फ्रांस है जैसा कि नीचे बताया गया है :-

फरवरी, 2016 में शेयरहोल्टिंग संरचना :

सोपरा स्टेरिया ग्रुप एसए फ्रांस
99.99% 100%

स्टेरिया यूके कारपोरेट लिमिटेड यूके
99.99%

सोपरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
अब स्टेरिया (इंडिया) के साथ समामेलित)

स्टेरिया (इंडिया) लिमिटेड

हालांकि, 23.02.2016 को आयोजित बैठक में दिए गए बीओए के निर्देशों के अनुसार, न्यायालय के मामले में विलय/डी-विलय और 50 प्रतिशत तक शेयरहोल्टिंग में परिवर्तन स्वीकृति समिति द्वारा विचार किया जा सकता है, तथापि इस मामले में, समामेलन से पहले और बाद में कंपनी के शेयरहोल्टिंग पैटर्न में 50 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन हैं, इसलिए 23.02.2016 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार बीओए द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है।

डीसी की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव बीओए द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(vii) मैसर्स जेविंटे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा एसईजेड में एक इकाई का 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों का किसी अन्य इकाई के शेयरों में अंतरण के लिए अनुरोध।

उपर्युक्त इकाई को 05.05.2008 को प्राधिकृत संचालन अर्थात "सॉफ्टवेयर विकास और आईटी सक्षम सेवाओं" के लिए एलओए दिया गया था।

कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है :

हस्तांतरण से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
सैफ अहमद	9800	98%
अरशद मजीद	100	1%
मोहम्मद जियाउद्दीन	100	1%

हस्तांतरण से बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

शेयरधारक का नाम	प्रस्तावित शेयरों की संख्या	प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
जेविंटे इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड (एक्स आई टी)	9999	99.99%
टेलस इंटरनेशनल (सीडीए) इंक (एक्स आई टी का नामांकित)	1	0.01%

डीसी की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव बीओए द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(viii) इन्फोपार्क सेज, कक्कनाद, किन्फ्रा आईटी/आईटीईएस सेज, तिरुवनंतपुरम और बागमान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड (दूसरा), बेंगलोर एक इकाई मैसर्स ईवाई ग्लोबल डिलिवरी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी का किसी अन्य निकाय में हस्तांतरण और प्राइवेट लिमिटेड से सीमित देयता भागीदारी में परिवर्तन के लिए गठन में परिवर्तन के लिए अनुरोध

उपर्युक्त इकाई को प्राधिकृत संचालन आईटी/आईटी सक्षम सेवाओं के लिए निम्नलिखित एसईजेड में एसईजेड स्थापित करने के लिए स्वीकृति पत्र दिया गया था।

क्र. सं.	स्वीकृति पत्र और तारीख	एसईजेड का नाम	संचालन शुरू होने की तिथि
1.	केएल : 01:06: इन्फोपार्क (आई): 2 सीएन दिनांक 19.07.2017	इन्फोपार्क एसईजेड (आई), कक्कनाद	14.08.2017
2.	केएल : 01:06: किन्फ्रा (एएन)/ 2 एस दिनांक 24.07.2017	किन्फ्रा आईटी/आईटीईएस सेज, तिरुवनंतपुरम	16.10.2017
3.	केए: 22:08: बागमाने दूसरा : 2 वाई दिनांक 13.04.2017	बागमाने डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड, II, बेंगलोर	03.07.2017

कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है :

25 सितम्बर, 2017 तक शेयरहोल्डिंग (शेयरों के हस्तांतरण से पहले)

शेयरहोल्डिंग का नाम (मतदान अधिकारी के साथ इक्विटी शेयर)	शेयरधारक की श्रेणी	पता	आयोजित शेयरों की संख्या	शेयरों का अंकित मूल्य (आई एन आर)
सी वाई जी बी एस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	निवासी कंपनी	तीसरा तल, टॉवर सी, आरएमजेड इंफिनिटी, ओल्ड मद्रास रोड, बंगलौर-560,016, कर्नाटक	9,999	99,990
श्री नितिन धावल	निवासी व्यक्ति	1012, प्रथम मुख्य, बनशंकर चरण, तीसरा, ब्लॉक, तीसरा चरण, बेंगलुरु-560085	1	10
कुल			10,000	100,00

शेयरहोल्डिंग 26 सितम्बर, 2017 को प्रभावी है

शेयरहोल्डिंग का नाम (मतदान अधिकारी के साथ इक्विटी)	शेयरधारक की श्रेणी	पता	आयोजित शेयरों की संख्या	शेयरों का अंकित मूल्य (आई एन आर)
--	--------------------	-----	-------------------------	----------------------------------

शेयर)				
सीवाई जीडीएस इंडिया होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	अनिवासी कंपनी	6, अधिक लंदन प्लेस, लंदन, एसई 12 डीए, यूनाइटेड किंगडम	9,999	99,990
ईवाई जीडीएस (सीएस) लिमिटेड	अनिवासी कंपनी	6, अधिक लंदन प्लेस, लंदन, एसई 12 डीए, यूनाइटेड किंगडम	1	10
कुल			10,000	100,00

यह देखा गया है कि प्राइवेट लिमिटेड से सीमित देयता भागीदारी के संविधान में बदलाव आया है और इकाई एक सतत इकाई के रूप में जारी रहेगी और नियम 74-ए लागू नहीं किया जाएगा।

डीसी की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव बीओए द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(ix) बेंगलोर के चोककानहल्ली गांव में मैसर्स मीलस्टोन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड का अनुरोध 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी के हस्तांतरण के लिए।

कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है :

हस्तांतरण से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	ओ सी पी एस की संख्या	प्रतिशत धारिता	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत होल्डिंग
1.	बिल्डको	71910000	100	4009980	99.99
2.	श्री मनोज खट्टर	-	-	10	0.005
3.	श्री जी राघवन	-	-	10	0.005
4.	बी सी डी पी एल	-	-	-	-
		71910000	100	4010000	100

हस्तांतरण से बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	ओ सी पी एस की संख्या	प्रतिशत धारिता	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत होल्डिंग
1.	बिल्डको	-	-	-	-
2.	श्री मनोज खट्टर	-	-	10	0.005

3.	श्री जी राघवन	-	-	10	0.005
4.	बी सी डी पी एल	71910000	100	4009980	99.99
		71910000	100	4010000	100

डीसी की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव बीओए द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(x) आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड प्लॉट नम्बर पीएल-3, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, हिनजवाड़ी, चरण-II, ग्राम मारुनजी, तालुका मुलशी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स एम्बैसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का निम्नलिखित के लिए अनुरोध।

- (i) मैसर्स एम्बैसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का मैसर्स एम्बैसी ऑफिस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड में समामेलन
- (ii) एम्बैसी ऑफिस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों का मैसर्स एम्बैसी ऑफिस पार्क्स आरईआईटी को 100 प्रतिशत हस्तांतरण।
- (iii) मैसर्स एम्बैसी ऑफिस पार्क्स आरईआईटी को 100 प्रतिशत शेयरों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप एसईजेड का नाम मैसर्स एम्बैसी ऑफिस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर होगा।

मैसर्स पुणे एम्बैसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पी ई पी पी एल), एसईजेड डेवलपर, मैसर्स एम्बैसी ऑफिस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (ई ओ पी पी एल) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। पी ई पी पी एल को दिनांक 07 अगस्त, 2017 के कोर्ट आदेश के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से मैसर्स एम्बैसी ऑफिस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड (ई ओ पी पी एल) में समामेलित किया गया था। अदालत के समामेलन आदेश के अनुसरण में ईओपीपीएल अब एसईजेड डेवलपर होगा।

समामेलन से पहले एसईजेड का शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम और पता	धारित शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
1.	एम्बैसी ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड	6,53,199	99.99%
2.	एम्बैसी ऑफिस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड जितेंद्र वीरवानी के साथ संयुक्त रूप से	01	001%
	कुल	6,53,200	100

समामेलन के बाद एसईजेड का शेयरहोल्डिंग पैटर्न निम्नानुसार है :

क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या	मूल्य	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
1.	एम्बैसी प्रापर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	43,51,624	4,35,16,240	49.99999
2.	एम्बैसी ऑफिस प्रापर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	01	10	0.00001
कुल ईपीडीपीएल होल्डिंग		43,51,625		50.0000
3.	एसजी इंडियन होल्डिंग (एनक्यू) सह I पीटीई लिमिटेड	43,30,044	4,33,00,440	49,75204
4.	एसजी इंडियन होल्डिंग (एनक्यू) सह II पीटीई लिमिटेड	2,805	28,050	0.032223
5.	एसजी इंडियन होल्डिंग (एनक्यू) सह III पीटीई लिमिटेड	18,755	1,87,750	0.215724
कुल ब्लैकस्टोन होल्डिंग		43,51,624		50,0000
कुल		87,03,249	8,70,32,490	100

दि एम्बैसी ऑफिस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स एम्बैसी ऑफिस पार्क्स आरईआईटी को शेयरहोल्डिंग के हस्तांतरण के लिए भी प्रस्ताव दिया है।

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	धारित शेयर की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
1.	एम्बैसी ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड	87,03,249	100.00%
कुल		87,03,249	100.00%

डेवलपर ने एम्बैसी ऑफिस पार्क्स आरईआईटी का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी के रूप में पंजीकरण के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अनुमोदन की एक प्रति जमा कर दी है।

डीसी की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने निम्नलिखित प्रस्ताव की सिफारिश की है :

- मैसर्स पुणे एम्बैसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का मैसर्स एम्बैसी ऑफिस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड में समामेलन।
- मैसर्स एम्बैसी ऑफिस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों का मैसर्स एम्बैसी ऑफिस पार्क्स आरईआईटी को 100 प्रतिशत हस्तांतरण।

- (iii) मैसर्स एम्बेसी ऑफिस पार्क्स आरईआईटी को 100 प्रतिशत शेयरों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप एसईजेड का नाम एम्बेसी ऑफिस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर होगा।

बीओए के विचार के लिए डेवलपर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव बीओए विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

- (xi) डीएलएफ सेज, चेन्नई में स्थित एक इकाई मैसर्स कान्टीनेंटल डेटाग्राफिक्स टेक्निकल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी को अन्य निकाय को हस्तांतरण के लिए चेन्नई अनुरोध।

उपरोक्त उल्लिखित इकाई को आईटी/आईटीईएस का अधिकृत प्रचालन के रूप में संचालन करने के लिए 28.01.2010 को एलओपी दिया गया था।

कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है :

हस्तांतरण से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
मैसर्स बोइंग साइप्रस होल्डिंग्स लिमिटेड, निकोसिया, साइप्रस	1,49,999	99%
मैसर्स बोइंग ऑपरेशंस इंटरनेशनल, इंक, विलमिंगटन, डीई 19808, न्यू कैसल कंट्री	1	1%

हस्तांतरण के बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
मैसर्स बोइंग इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	1,49,999	99%
मैसर्स बोइंग एशिया प्रशांत पीटीई लिमिटेड, (बोइंग इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नामांकित के रूप में), सिंगापुर	1	1%

डीसी, एमईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव बीओए के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(xii) सीतापुरा सेज, जयपुर में स्थित एक इकाई मैसर्स सिम्फनी ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन के साथ शेयरहोल्डिंग पैटर्न में 100 परिवर्तन के लिए अनुरोध।

उपरोक्त उल्लिखित इकाई को स्वर्ण आभूषण सादा और स्टड किए गए, चांदी के आभूषण सादे प्लैटिनम आभूषण, जेमस्टोन्स कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थर, तांबे के मोती और कृत्रिम आभूषण और मोती से बने आभूषणों के निर्माण के लिए दिनांक 08.11.2008 को एलओपी दिया गया था।

कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है :

हस्तांतरण से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
1.	दयाराम खांचंदानी	4.23%
2.	श्याम खांचंदानी	34.61%
3.	नितिन खांचंदानी	60.76%
4.	पुष्पा खांचंदानी	0.40%

स्थानांतरण के बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
1.	नवरातन जोहरी	77%
2.	इंदु मायाच	23%

डीसी द्वारा सिफारिश :

डीसी, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सिफारिश के कारण

कंपनी, मैसर्स सिम्फनी ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड ने उल्लेख किया है कि उनके आंतरिक मामले के कारण उन्होंने निदेशकों में संवर्धन एवं समापन किया है। शेयरहोल्डिंग में दबलाव के लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया है।

प्रस्ताव बीओए के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

मद संख्या 81.5 : विविध मामले (10 प्रस्ताव)

(i) मैसर्स एनएसआर ग्लोबल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में नेटवर्क सूचना ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) बंगलौर का मान्यता एम्बैसी बिजनेस पार्क बंगलौर एसईजेड में सह-डेवलपर की स्थिति के लिए, बेयर शेल भवनों का 64,090 वर्ग फुट के क्षेत्र को वार्म शेल भवनों में परिवर्तन करने के प्राधिकृत प्रचालन को करने हेतु विशेषकर सेज क्षेत्र में विकास करने और उपर्युक्त आईटी/आईटीईएस एसईजेड में बिल्ट-अप स्पेस को पट्टे पर देने के लिए अनुरोध।

जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है यह सेज 26.2017 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के अधिसूचित क्षेत्र में 16 नवम्बर, 2006 को अधिसूचित किया गया था।

मैसर्स एनएसआर ग्लोबल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को उपर्युक्त सेज में वेयर शेल भवनों का वार्म शेल भवनों में रूपांतरण के अधिकृत संचालन के लिए और ब्लॉक टीक (जी.3), विंग क और के 33,498 वर्ग फुट को शामिल करते हुए 52,301 वर्ग फुट स्पेश और (ख) ए विंग के माउंटेन ऐश (एच 2) में 18,803 वर्ग फुट स्थान को पट्टे पर देने के लिए सह-विकासक के दर्जे के लिए अनुमोदन।

मैसर्स एनएसआर ग्लोबल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड अब 64,090 वर्गफुट के अतिरिक्त क्षेत्र के लिए अनुमोदन मांगने के लिए एक विस्तार आवेदन जमा किया है जिसमें निम्नलिखित अतिरिक्त फ्लोर्स शामिल हैं :

(क) 33,498 वर्ग फुट ब्लॉक टीक में (जी.3) (दूसरा तल)

(ख) 30,592 वर्ग फुट ब्लॉक एल1 में – विंग-ए (पहला तल)

दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 को हुए सह-निर्माता समझौते को डेवलपर को प्रदान करा दिया गया है। एसईजेड में सह-डेवलपर द्वारा निवेश की प्रस्तावित राशि 16.00 करोड़ रुपये है।

डीसी द्वारा सिफारिश :

डीसी, कोचीन एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह-डेवलपर का अनुरोध बीओए के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(i) मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का मंजरी भद्रक, तालुका हवेली, जिला पुणे – महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिक के लिए सेक्टर विशिष्ट सेज की स्थापना करने और 4.1925 हेक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए अनुरोध।

उपर्युक्त एसईजेड स्टैंड 17.0901 हेक्टेयर के क्षेत्र में अधिसूचित है।

डेवलपर ने 4.1925 हेक्टेयर के एक अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। तदद्वारा सेज का कुल क्षेत्रफल संवर्धन के उपरांत 17.0901 हेक्टेयर से बढ़कर 21.2826 हेक्टेयर (10 प्रतिशत से अधिक मूल क्षेत्र) हो जाएगा।

राज्य सरकार का एनओसी डेवलपर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

डीसी की सिफारिश :

उपर्युक्त के मददेनजर मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का सेज का अनुमोदित क्षेत्रफल 17.0901 हेक्टेयर से बढ़ाकर 21.2826 हेक्टेयर करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए बोर्ड से सिफारिश की जाती है।

राज्य सरकार की सिफारिश डेवलपर द्वारा सीधे एमओसी एंड आई को भेजी जाएगी।

बीओए के विचार के लिए डेवलपर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

(iii) क्षेत्र विशेष के डेवलपर सेज वल्लाचेरी ग्राम, चंगलपेट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी/आईटीईएस के लिए सेक्टर विशिष्ट सेज विकासक एज के क्षेत्र में विस्तार के लिए अनुरोध।

उपर्युक्त एसईजेड को 01.05.2007 को 11.09 हेक्टेयर क्षेत्र में अधिसूचित किया गया था। एसईजेड अभी तक प्रचालन में नहीं है।

अब डेवलपर ने अतिरिक्त क्षेत्रों की मंजूरी के लिए अनुरोध किया है जैसे कि (2.54 हेक्टेयर और (2) 4.30 हेक्टेयर इस तरह एसईजेड में 6.84 हेक्टेयर क्षेत्र हो जाएगा।

वल्लंचेरी गांव, चंगलपेट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के डेवलपर मैसर्स एस्टानिया आईटी पार्क एसईजेड के क्षेत्र मकें वृद्धि के लिए 17.11.2017 को आयोजित 80वीं बैठक में एसईजेड के लिए स्वीकृति बोर्ड द्वारा इस कारण का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया गया था कि यह स्पष्ट नहीं था कि मौजूदा अधिसूचित एसईजेड प्रचालन में है या नहीं।

मैसर्स जीहो कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने शुरूआत में 23.08.2010 को मैसर्स डीएलएफ आईटी पार्क लिमिटेड में एक इकाई की स्थापना के लिए अपना एलओए प्राप्त किया है। इकाई ने 08.07.2011 को अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। तब इकाई ने अपने प्रचालनों को दिनांक मार्च, 2016 से एस्टानिया आईटी पार्क एसईजेड में अंतरित कर दिया। इसलिए मैसर्स एस्टानिया आईटी पार्क एसईजेड, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 6 (2)(क) के तहत दिनांक 8.7.2011 से प्रचालनों में है। वर्तमान में यह एसईजेड इकाई करीब 5000 कर्मचारियों के साथ काम कर रही है और इकाई का प्रदर्शन नीचे दिया गया है :-

(i) 2.54 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र के लिए अनुरोध :

डेवलपर ने तहसीलदार द्वारा विधिवत प्रमाणित अधिसूचित होने के लिए क्षेत्र के आवश्यक भूमि विवरण को विधिवत जमा कर दिया है। डेवलपर ने बताया कि 21 सर्वेक्षण संख्या अंतर्ग्रस्त हैं और मैसर्स लैंकर होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ बिक्री समझौते की एक प्रति शामिल और प्रस्तुत की। उन्होंने बीओए की मंजूरी मिलने के बाद बिक्री कार्य पंजीकृत करने के लिए प्रस्तुत और वचनबद्ध किया।

चूंकि 11.09 हेक्टेयर के वर्तमान अधिसूचित क्षेत्र और 2.54 हेक्टेयर के प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्र के बीच एक सार्वजनिक सड़क है, इसलिए डेवलपर ने समय रेखा के साथ एक उपक्रम प्रस्तुत किया है कि वे दो भूमि क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पुल पर एक पैर का निर्माण करेंगे।

(ii) **4.30 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र के लिए अनुरोध :**

एसईजेड के डेवलपर मैसर्स एस्टानिया आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने उल्लेख किया कि 4.30 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में 47 सर्वेक्षण संख्याएं शामिल हैं। उन्होंने श्रीमती नुसरत फातिमा और श्री महबूब खान से 1.07 हेक्टेयर (12 एसवाई संख्या), मैसर्स प्रेसिडेंसी किड लेदर पी लिमिटेड से 1.60 हेक्टेयर (10 एसवाई संख्या) से बिक्री समझौते को निष्पादित किया है। राणे एनएसके स्टीयरिंग सिस्टम्स पी लिमिटेड के साथ विनिमय कार्य किया है।

डीसी की सिफारिशें :

मैसर्स एस्टेन्सिया आईटी पार्क एसईजेड के प्रस्ताव में निम्नलिखित की मंजूरी की मांग की गई है।

- (i) एसईजेड में 6.84 हेक्टेयर की सीमा तक (1) 2.54 हेक्टेयर और (2) 4.30 हेक्टेयर के अतिरिक्त भूमि पार्सल; तथा
- (ii) दोनों भूमि क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक अर्थात् 11.09 हेक्टेयर के वर्तमान अधिसूचित क्षेत्र और 2.54 हेक्टेयर के अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि पार्सल के बीच एसईजेड की संगतता को बनाए रखने के लिए फुट ओवर ब्रिज निर्माण।

बीओए के विचार के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की जाती है।

डीसी एमईपीजेड ने एसईजेड के क्षेत्र को बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

बीओए के विचार के लिए डेवलपर का प्रस्ताव जमा किया गया है।

(iv) देवड़ा बीसनहल्ली, भोगनहल्ली और डोड्डाकनहल्ली गांव, वरथूर होबल बंगलौर, कर्नाटक में आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशेष सेज की स्थापना करने हेतु 1.386 हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि के लिए मैसर्स आरएमजेड इकोल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध।

उपर्युक्त एसईजेड 10.559 हेक्टेयर क्षेत्र में अधिसूचित है।

डेवलपर ने इस क्षेत्र के अलावा 1.386 हेक्टेयर के लिए अनुरोध किया है। तद्वारा उसका कुल क्षेत्रफल 10,559 हेक्टेयर से बढ़कर 11,945 हेक्टेयर हो जाएगा।

एसईजेड में जोड़ी जाने वाली भूमि संगत और खाली है। डेवलपर ने 09.11.2017 तक के लिए मान्य है।

डीसी की सिफारिश :

डीसी, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

बीओए के विचार के लिए डेवलपर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

(v) मैसर्स नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड को आठ सेज की स्थापना करने के लिए दिए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि में विस्तार करने के लिए अनुरोध।

क्र.सं.	एसईजेड का नाम	एलओए की वैधता की तारीख
1.	मैसर्स नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड (द्रोणागिरी)	29.01.2016
2.	मैसर्स नवी मुंबई आईटी प्राइवेट लिमिटेड/आईटीईएस-ए (कलांबोली)	25.01.2016
3.	मैसर्स नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड (बहु सेवाएं), कलांबोली	25.01.2016
4.	मैसर्स नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड (रत्न और आभूषण), उलवे	26.02.2016
5.	मैसर्स नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड (आईटी/आईटीईएस ए, उलवे)	26.02.2016
6.	मैसर्स नवी मुंबई प्राइवेट लिमिटेड, आईटी/आईटीईएस-बी (उलवे)	24.10.2016
7.	मैसर्स नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड (आईटी/आईटीईएस सी, उलवे)	24.10.2016
8.	मैसर्स नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड (आईटी/आईटीईएस सी, उलवे)	21.11.2016

यह मैसर्स नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आठ सेजों की स्थापना करने के लिए दिए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि का विस्तार करने के लिए है। 80वें बीओए के निर्णय के अनुसार अपर सचिव (एसके) की ओर से एक अ.शा. पत्र मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार को दिनांक 23.11.2017 की डीस, सीपूज के साथ इस मामले को उठाने और नोट 21 एंटी के पैरा 3 और 4 में उल्लिखित मुद्दे का हल निकालने के लिए भेजा था।

अब संयुक्त सचिव, महाराष्ट्र सरकार ने 16.12.2017 के पत्र के अनुसार स्वीकृति बोर्ड से 3 महीने के विस्तार के लिए अनुरोध किया है। इसके अलावा, सिडको और एनएमएसईजेड कुछ परिचालन और नियामक मुद्दों को हल करने की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, सिडको ने सूचित किया है कि उन्हें हाल में ही महाराष्ट्र के डेवाकेट जनरल की राय प्राप्त कर ली है और एसईजेड को विस्तार प्रदान करने के लिए विचार-विमर्श प्रक्रिया में है और उम्मीद है कि इसका निर्णय जल्द ही कर लिया जाएगा।

इसलिए, महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई एसईजेड परियोजना को सूचीबद्ध करने के लिए तीन महीने के एक और विलंब पर विचार करने के लिए बीओए से अनुरोध किया है।

प्रस्ताव बीओए के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(vi) मैसर्स अरशिया उत्तरी एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड गांव – इब्राहिमपुर, जुनैदपुर यूआरएफ मौजपुर, खुर्जा जिला- बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) के मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग जोन में एक इकाई की स्थापना के लिए मैसर्स सिंडिकेट इनोवेशन इंटरनेशनल लिमिटेड का प्रस्ताव।

आयातित वस्तुओं की "वेयरहाउसिंग, ट्रेडिंग, लेबलिंग, पैकिंग, री-पैकिंग, रीसेलिंग और री-इनवाँइसिंग आयातित सामानों का पुनः निर्यात करने सीकेडी/एसकेडी किट्स की असेम्बली 70 संख्या एक्जिम कोड और उनके मद विवरण का पृथक्करण, मिक्सिंग करने के लिए गांव इब्राहिमपुर, जुनैदपुर यूआरएफ मौजपुर, जिस्ट, बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) में आर्धिया उत्तरी एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड एफटीडब्ल्यूजेड में 186 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक इकाई स्थापित करने के लिए मैसर्स सिंडिकेट इनोवेशन इंटरनेशनल लिमिटेड ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव को अनुमोदन समिति की दिनांक 01.12.2017 को आयोजित बैठक में विचारार्थ रखा गया। विचार-विमर्श के पश्चात अनुमोदन समिति ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 18(5) के अनुसार प्राधिकृत क्रियाकलाप करने के लिए इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया।

"वेयरहाउसिंग किसी भी प्रसंस्करण के बिना लेबलिंग, पैकिंग या री-पैकिंग के साथ या उसके बिना ट्रेडिंग, फॉलोइंग को छोड़कर संलग्न सूची के अनुसार आइटम के लिए पूरी तरह से खारिज या अर्ध नाँक डाउन किट की असंबली :-"

अनुमोदन समिति द्वारा आईटीसी (एचएस) कोड और आइटम की अनुमति नहीं दी गई है :

43031010	वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 और 43039010 के तहत कवर किए गए जंगली जानवरों के परिधान और अनुषंगी जो "निषिद्ध वस्तुओं" के अंतर्गत आती हैं।	निषिद्ध
9302	(रिवाल्वर और पिस्तौल, 9303 या 9304 शीर्षक के अलावा)	वर्जित
9302	(अन्य आग्नेयास्त्रों और इसी तरह के उपकरण जो विस्फोट करके प्रचालित किए जाते हैं (उदाहरण के लिए स्पोर्टिंग शॉर्टगन्स और राइफल्स, मजललोडिंग आग्नेयास्त्र समान पिस्तौल और अन्य उपकरण जो सिग्नल फ्लेरेस, के लिए बनाए गए हों, पिस्तौल और खाली गोला बारूद फायर करने के लिए रिवाल्वर, कैप्टिव-बोल्ट मानव किलर्स, लाइन थ्रोइंग बंदूकें)।	प्रतिबंधित (93031000 को छोड़कर जो पॉलिसी शर्तों के अधीन है)
9304	अन्य हथियार (उदाहरण के लिए स्प्रिंग, वायु या गैस बंदूक और पिस्तौल ट्रेंचंस), 9304 शीर्षक के अलावा)।	वर्जित
93051000	(रिवाल्वर या पिस्तौल के शीर्षक 9301 से 9304 के सामान के पार्टस और सहायक उपकरण)	वर्जित
9306	बम, ग्रेनेड, टारपीडो, माइन्स, मिसाइल और ऐसे ही अन्य समान आग्नेयास्त्र और उसके पार्टस, कारतूस और अन्य गोला बारूद और प्रोजेक्टाइल और उसके पार्टस, शॉट और कारतूस वैड्स सहित (एयर गन छर्रों को छोड़कर)।	वर्जित

97050010	भरवां जानवर और वीडियो (टैक्सीडर्मी)	वर्जित
97050090	जलॉजिकल, वनस्पति विज्ञान, मिनरलोजिक, एनोटमिकल, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, पैलेन्टोलॉजिकल, नृवंशविज्ञान या न्यूमिस्मैटिक इन्टरेस्ट के टुकड़े, अन्य के संग्रह और कलेक्टर पीस	वर्जित
81083000	टाइटेनियम और इसकी मर्दें अपशिष्ट और स्क्रेप-अपशिष्ट और स्क्रेप सहित	वर्जित
90051000	नाइट विजन वाउनाकुलर्स/निष्क्रिय रात दृष्टि डिवाइस-पीएनवी आयात से "प्रतिबंधित" हैं।	वर्जित

अनुमोदन समिति ने पाया कि आईटीसी एचएस कोड 93060000 – एयरगन "प्रतिबंधित" है लेकिन आईटीसी (एचएस) 2017 के अध्याय 93 के फुटनोस नम्बर 4 में उल्लेख है कि "एयरा गन छर्ची" के आयात के लिए नीति मुक्त है। इसलिए, स्वीकृति समिति ने "एयर गन छर्ची" की अनुमति देने का फैसला किया। हालांकि, स्वीकृति समिति ने "एयर गन पिलेट्स" को स्वीकृति देने से पहले इसे डीजीएफटी की पुष्टि प्राप्त करने के लिए स्वीकृति बोर्ड को संदर्भित किया जाए।

जहां तक उपर्युक्त "प्रतिबंधित/निषिद्ध वस्तुओं" का संबंध है, मैसर्स सिंडिकेट इनोवेशन इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रतिनिधि ने सूचित किया है कि कुछ स्पोर्ट्स संगठन से "स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर निदेशालय, मध्य प्रदेश और नालंदा राइफल क्लब" 177 एयर पिस्तौल, 22 एसटीडी पिस्तौल, 22 राइफल और शॉटगन 12 बोर आदि जीसेरेटेड सामान का आयात/खरीद कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकृति समिति के समक्ष आपूर्ति आदेशों की प्रतियां भी प्रस्तुत कीं। उन्होंने आगे बताया कि आर्शियों एफटीडब्ल्यूजेड, पनवेल, रायगढ़ में कुछ वस्तुएं जैसे कि "अन्य शस्त्र (उदाहरण के लिए स्प्रिंग, वायु या गैस गन्स और पिस्तौल, ट्रंचियन) जैसे कुछ शीर्ष 9307 (आईटीसी एचएस कोड : 93040000) को छोड़कर; कार्ट्रिज (शॉटगन गोला बारूद) (केवल खेल के उद्देश्य के लिए) (आईटीसी एचएस कोड; 93062100) और अन्य (गोला बारूद) (केवल खेल के उद्देश्य के लिए) (आईटीसी एचएस कोड; 93069000) के लिए यूनिट मैसर्स हब्स शूटिंग स्पोर्ट्स को अनुमति दी गई थी।

स्वीकृति समिति ने पाया कि उपरोक्त वस्तुएं, जो आयात/निर्यात के लिए "प्रतिबंधित और निषिद्ध वस्तुओं" के तहत आती हैं, को केवल 04.03.2010 के निर्देश संख्या 47 के संदर्भ में बीओए द्वारा ही अनुमति दी जा सकती है और इसलिए स्वीकृति समिति द्वारा यह तय किया गया कि इन मर्दों के संबंध में मामले को आवेदक द्वारा प्रदान कराए गए औचित्य और दस्तावेजों के साथ बीओए को संदर्भित किया जा सकता है।

समिति ने आगे निर्णय लिया कि चूंकि ये वस्तुएं मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं और आयात के लिए प्रतिबंधित हैं, इसलिए इनके संचालन/आवागमन में शामिल संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, एलओए में इन वस्तुओं को शामिल करने के लिए बीओए के समक्ष इस मामले का रखने के लिए इस तरह के समावेशन की सिफारिश नहीं की जा सकती है।

उपरोक्त को देखते हुए, स्वीकृति समिति द्वारा तय किए गए के अनुसार, बीओए द्वारा विचार करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को डीओसी को भेजा जाता है।

मैसर्स सिंडिकेट इन्वोवेशन इंटरनेशनल लिमिटेड का निम्नलिखित वस्तुओं के आयात/निर्यात की अनुमति देने के लिए, जो "प्रतिबंधित/निषिद्ध" श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, प्रस्ताव दिनांक 04.03.2010 के निर्देश संख्या 47 के संदर्भ में बीओए द्वारा विचार के लिए अग्रेषित किया जाता है :

- (i) आईटीसी एचएस कोड : 43031010 – जंगली जीवन संरक्षण अधिनियम, 1972 और 43039010 के तहत कवर किए गए जंगली जानवरों के परिधान और सहायक मदें "निषिद्ध वस्तुओं" के अंतर्गत आती हैं।
- (ii) एक्विम कोड/आईटीसी एचएस कोड 9302, 9303, 9304, 93051000, 9306, 97050010, 97050090, 81083000 के तहत सभी आइटम "प्रतिबंधित श्रेणी" के अंतर्गत आते हैं।
- (iii) आईटीसी एचएस कोड 9005100 में नाइट विजन वाइनाक्युलर/पैसिव नाइट विजन डिवाइस – पीएनवी आयात से "प्रतिबंधित" हैं।

तथापि इन वस्तुओं के हैंडलिंग/आवागमन में शामिल संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इन वस्तुओं का मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र से संबंधित होने और आयात के लिए प्रतिबंधित होने के कारण डीसी एनएसईजेड ने एलओए में उपर्युक्त वस्तुओं को शामिल करने की सिफारिश नहीं की है।

यूनिट का प्रस्ताव बीओए के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(vii) वीएसईजेड में स्थित एक इकाई मैसर्स बायोमेक्स फ्यूल्स लिमिटेड का बायोडीजल के निर्माण और व्यापार के लिए अनुरोध – टैलो ऑयल के आयात के लिए अनुमति।

मैसर्स बायोमेक्स फ्यूल्स लिमिटेड का बायोडीजल में स्थित एक इकाई को निर्यात के लिए बायोडीजल के निर्माण और इसके सह-उत्पादों के निर्यात के लिए दिनांक 19.10.2006 को एलओए दिया गया था। इकाई ने उत्पादन और निर्यात शुरू कर दिया है।

इकाई ने सूचित किया कि वे क्रूड पॉम ऑयल का आयात कर रहे हैं जो बायोडीजल के निर्माण के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है, लेकिन सीपीओ और सीपीओ सह-उत्पादों की कीमतें घटती-बढ़ती रहती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च हैं, इस कारण उन्हें सीपीओ की खरीद करना मुश्किल लग रहा है। कच्चे पाम तेल की उच्च लागत के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है जो परियोजना को चलाने के लिए अवयवहार्य हो रहा है, नतीजतन वे संयंत्र को पूर्ण क्षमता तक उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इकाई ने सूचित किया है कि उन्होंने अन्य विकल्पों के लिए प्रयास किए हैं और उस प्रक्रिया में उन्होंने टोलो ऑयल को बायोडीजल के उत्पादन के लिए कच्चे माल के वैकल्पिक स्रोत के रूप में पहचाना है। यह सूचित किया गया कि वसा ऑयल

इंडिया में और साथ ही विदेशी देशों में बहुतायत से उपलब्ध है और यह गैर-खाद्य तेल है और पर्यावरण के अनुकूल है और बायोडीजल के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री के रूप में उपलब्ध है और उन्होंने बायोडीजल के उत्पादन के लिए टैलो ऑयल का आयात करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया है।

निर्यात और आयात वस्तुओं के आईटीएचसी वर्गीकरण के अनुसार, टैलो ऑयल को "1502" के तहत कवर किया गया है जो आयात के लिए एक प्रतिबंधित आइटम है। यूनिट ने बायोडीजल के निर्माण के लिए निषिद्ध वस्तु का आयात करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है।

एसईजेड नियम 2006 के नियम 27(1) के प्रावधानों के अनुसार – आयात के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं को एसईजेड या यूनिट या डेवलपर द्वारा भारत के बाहर कि जगह से विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्वीकृति बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के साथ ही खरीदा जा सकता है।

डीसी की सिफारिश

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इकाई के अनुरोध को निषिद्ध वस्तु प्राप्त करने की अनुमति के लिए स्वीकृति बोर्ड के समक्ष जरूरी विचार के लिए रखने हेतु अग्रेषित किया गया है।

यूनिट का प्रस्ताव बीओए के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(viii) अनुरोध के एपीएसईजेड विशाखापत्तनम में स्थित एक इकाई मैसर्स अभिजीत फेरो टेक लिमिटेड का फेरो मैंगनीज स्लैग के आयात के लिए अनुरोध

मैसर्स अभिजीत फेरो टेक लिमिटेड को समय-समय पर यथासंशोधित फेरो मैंगनीज और सिलिकॉन मैंगनीज टेक के निर्माण और निर्यात के लिए दिनांक 05.03.2010 को एलओए दिया गया था। यूनिट ने 24.03.2012 को उत्पादन शुरू किया और पांच वर्ष की पहली ब्लॉक अवधि के दौरान 1956.78 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया। यूनिट ने 852.67 करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर सकारात्मक एनएफई हासिल किया है। यूनिट को 24.03.2017 से 23.03.2022 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए एसईजेड स्थिति का विस्तार दिया गया था।

इससे पहले, यूनिट को 13.03.2012 को आयोजित 51वीं बीओए बैठक की मंजूरी और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अनुमोदन के आधार पर 22.03.2012 के एपीएसईजेड के पत्र के माध्यम से फेरो मैंगनीज स्लैग (प्रतिबंधित आइटम) के 1,00,000 मीट्रिक टन के आयात के लिए अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि कोई डीटीए लेनदेन नहीं होगा। यूनिट ने 08.12.2017 को 1,00,000 मीट्रिक टन के मुकाबले 99,882 मीट्रिक टन की मात्रा के लिए आयात किया है और 118 मीट्रिक टन की शेष मात्रा उपलब्ध है। यूनिट ने अब तक आयतित मैंगनीज स्लैग के लिए चार्टर्ड अभियंता से उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है।

अब, यूनिट ने 30.11.2017 के पत्र के अनुसार एमओईएफ और जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी अनुमति की प्रति संलग्न करते हुए फेरो मैंगनीज स्लैग के 50,000 मीट्रिक टन के आयात के लिए अनुमति का अनुरोध किया है। एमओईएफ ने अपने पत्र में कहा है कि 18 महीने की अवधि के भीतर निर्धारित शर्तों के साथ रीसाइक्लिंग उद्देश्य के लिए 50,000 मीट्रिक टन फेरो मैंगनीज स्लैग के आयात के लिए उनके मंत्रालय पर कोई आपत्ति नहीं है।

हालांकि, यूनिट ने 31.12.2022 तक की अवधि के लिए एपीसीसीबी के दिनांक 01.12.2001 के पत्र के अनुसार सहमति प्राप्त की है ताकि फेरो मैंगनीज और सिलिकॉन मैंगनीज के लिए 2,38,082 टीपीए और खतरनाम अपशिष्ट के संग्रह, भंडारण, उपचार, परिवहन इत्यादि की सुविधा संचालित हो सके।

चूंकि, यूनिट ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली और एपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति और प्राधिकृतीकरण आदेश 31.12.2022 तक नवीनीकृत किया है, इसलिए 50,000 मीट्रिक टन की मात्रा के लिए फेरो मैंगनीज स्लैग के आयात के लिए मैसर्स अभिजीत फेरो टेक लिमिटेड का प्रस्ताव बीओए के विचारार्थ रखा गया है।

डीसी की सिफारिश

डीसी, एपीएसईजेड ने बीओए के विचार के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का प्रस्ताव बीओए के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(ix) दहेज सेनज़ में उपलब्ध गलियारे के माध्यम से पानी की आपूर्ति पाइपलाइन लगाने की अनुमति देने के लिए मैसर्स दीपक फेनोलिक लिमिटेड का अनुरोध।

मैसर्स दीपक फेनोलिक लिमिटेड एक डीटीए इकाई देश में सबसे बड़ी क्षमता फेनोल और एसीटोन की परियोजना की स्थापना करती है। उसने दहेज सेज के माध्यम से पानी की पाइपलाइन लगाने की अनुमति मांगी है क्योंकि यहां जलाशय से अवस्थापन प्लॉट संख्या 12/बी/1 तक कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।

मैसर्स दहेज सेज लिमिटेड ने 19.09.2017 को जीआईडीसी (गुजरात औद्योगिक विकास निगम) रिजर्वोइयर से दीपक फेनोलिक लिमिटेड के परिसर तक समर्पित जल आपूर्ति पाइपलाइन लगाने के लिए अपने पत्र के माध्यम से अनुमति दी है।

तथापि, गुजरात औद्योगिक विकास निगम, दहेज एसईजेड लिमिटेड के प्रमोटर ने 18.11.2017 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि अगर वे पानी या प्रदूषण निस्सरण के लिए बड़े पम्प के साथ बड़ी लाइन डालते हैं तो जब तक सभी भूखंड आवंटित नहीं होते हैं और उद्योग अपना संचालन शुरू नहीं करते हैं तब तक इसका कम उपयोग किया जाएगा और ऊर्जा क्षति होगी और भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होगा। इसका इष्टतम उपयोग के लिए गलियारों को चौड़ा रखा गया है। अलग-अलग उद्योग न्यूनतम बर्बादी के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें।

डीसी, दहेज सेज ने उल्लेख किया है कि वह मामला 11.10.2017 को आयोजित दहेज सेज की 76वीं इकाई अनुमोदन समिति की बैठक के समक्ष रखा गया था और समिति ने स्वीकृति बोर्ड को मामले की सिफारिश करने का फैसला किया क्योंकि यूएसी को अनुमति देने का अधिकार नहीं है। इसी तरह का एक अनुरोध मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दहेज सेज के माध्यम से आरआईएल-दहेज इकाई के लिए जीआईडीसी-दूसरा पानी जलाशय रहियाद से 8एमजीडी जल आपूर्ति पाइप लाइन बिछाने के लिए 64वें बीओए द्वारा अनुमोदित किया गया इसी तरह की अनुमति देने के लिए 20 फरवरी, 2015 को बीओए की बैठक आयोजित की गई थी।

डीसी की सिफारिश

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, डीसी दहेज ने निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रस्ताव की सिफारिश की है :

- (i) मैसर्स दीपक फेनोलिक लिमिटेड (डीपीएल) को साइट पर काम शुरू होने से पहले दहेज सेज लिमिटेड (डीएसएल) के साथ आरओयू समझौते को निष्पादित करना है।
- (ii) जल आपूर्ति लाइन डालने से पहले, एसईजेड क्षेत्र के भीतर भूमिगत सेवाओं के सटीक स्थान के लिए एक परीक्षण गड्ढा बनाया जाना है। मैसर्स डीपीएल को एसईजेड क्षेत्र में मौजूदा सेवाओं का ख्याल रखना है। मैसर्स डीपीएल को आवश्यक मार्गदर्शन/सूचना/ अनुमोदन के लिए संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करना है। यदि काम के निष्पादन के दौरान कोई नुकसान हुआ तो मैसर्स डीपीएल द्वारा तुरंत जाएगा। इसके लिए लागत मैसर्स डीपीएल द्वारा वहन की जाएगी। संबंधित प्राधिकारियों/डीएसएल द्वारा सुझाई गई पद्धति के अनुसार क्षति क्षेत्र को बहाल किया जाएगा।
- (iii) एसईजेड क्षेत्र में पानी की आपूर्ति पाइपलाइन लगाने का सही मार्ग मैसर्स डीपीएल द्वारा परीक्षण गड्ढा पूरा करने के पश्चात निष्पादन के समय डीएसएल द्वारा दिखाया जाएगा। निष्पादन के दौरान, यदि किसी भी कारण से, पानी की आपूर्ति पाइपलाइन का मार्ग बदलना आवश्यक है, तो पानी की आपूर्ति पाइपलाइन के संरेखण को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।
- (iv) मैसर्स डीपीएल को संबंधित प्राधिकारी द्वारा सुझाई गई पद्धति के अनुसार मौजूदा/ प्रस्तावित सेवाओं को पार करना है ताकि एसईजेड क्षेत्र में पानी की आपूर्ति लाइन डाली जा सके और इसके लिए लागत मैसर्स डीपीएल द्वारा की जाएगी।
- (v) मैसर्स डीपीएल को मौजूदा/प्रस्तावित सेवाओं से सुरक्षित गार्ड दूरी के रूप में संबंधित प्राधिकारी/आईएसके सुरक्षा मानकों के मानदंडों के अनुसार है।
- (vi) मैसर्स डीएसएल को आवंटित भूमि क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमिगत या ओवरहेड आरओयू पर सेवाओं/लाइनों को रखने का अधिकार सुरक्षित है।

- (vii) कार्यों के निष्पादन के दौरान, मैसर्स डीपीएल को यह सुनिश्चित करना होगा कि एसईजेड में किसी भी संपत्ति/सेवाओं आदि को कोई नुकसान नहीं होगा। यदि कोई नुकसान हुआ, तो डीएसएल/संबंधित प्राधिकारी द्वारा वांछित अपनी लागत पर डीपीएल द्वारा उसकी मरम्मत की जाएगी। उसे मैसर्स डीएसएल द्वारा पुनः बहाल किया जाएगा।
- (viii) पाइपलाइन की गहराई इस तरह से रखी जाएगी कि यदि आवश्यक हो तो जीएसएल को अन्य भूमिगत सेवाओं को बिछाने में सक्षम बनाने के लिए नींव के शीर्ष से प्राकृतिक ग्राउंड लेवल (एनजीएल) तक स्पष्ट ऊंचाई (न्यूनतम 2 एमआरटी) उपलब्ध होनी चाहिए।
- (ix) उक्त आरओयू केवल पानी की आपूर्ति पाइपलाइन लगाने के लिए है। डीएसएल की लिखित अनुमति के बिना आरओयू क्षेत्र में किसी भी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (x) काम डीएसएल, दहेज के परामर्श से निष्पादित किया जाएगा।
- (xi) मैसर्स डीपीएल आरओयू क्षेत्र को अच्छी स्थिति में बनाए रखेगा।
- (xii) मैसर्स डीपीएल, डीएसएल के परामर्श से जल आपूर्ति पाइपलाइन के रखरखाव के लिए आवश्यक दृष्टिकोण बनाए रखेगा।
- (xiii) मैसर्स डीपीएल को एसईजेड क्षेत्र में प्रचलित नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।
- (xiv) मैसर्स डीपीएल इस परियोजना में इस्तेमाल होने वाली किसी भी सामग्री के लिए कोई शुल्क छूट नहीं लेगा और सरकार द्वारा निर्धारित सभी शुल्कों का भुगतान करेगा।
- (xv) उक्त पाइपलाइन एसईजेड के उपयोगिता क्षेत्र में बिछाई जाएगी और उससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। इसके अलावा, इसे एसईजेड प्लॉट धारकों, अन्य उपयोगिताओं और जनता को बड़े पैमाने पर किसी भी खतरे/परेशानी का कारण नहीं होना चाहिए।

यूनिट का प्रस्ताव बीओए के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(x) मैसर्स मुंद्रा एसईजेड में स्थित एक इकाई मैसर्स अडानी वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का स्वतंत्र रूप से आयात योग्य श्रेणी (ओजीएल) के तहत कवर किए गए सामानों के भंडारण और बाद में उसकी डीटीए बिक्री के लिए मंजूरी देने के लिए अनुरोध।

मैसर्स अडानी वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18(5) और दिनांक 6 जुलाई, 2010 के अनुदेश संख्या 60 के अनुसार ग्राहकों को भंडारण सेवाएं प्रदान करने और विदेशी खरीदार आपूर्तिकर्ताओं और डीटीए प्रदायकों/क्रेताओं की तरफ से माल को होल्ड रखने के लिए 15.01.2013 को एलओपी दिया गया था।

इस इकाई ने पीली मटर/मसूर का आयात और उसका फिर से निर्यात करने की अनुमति देने के लिए डीसी एपीएसईजेड में आवेदन किया है। यह प्रस्ताव 68वीं बीओए द्वारा 13.01.2016 के अनुमोदन पत्र के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। तथापि, यह

अनुमोदन इस शर्त के अधीन था कि डीटीए में या डीटीए के बाहर पीली मटर/दालें और लाल मसूर के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपर्युक्त अनुमोदन के बाद, मैसर्स अडानी वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 15.09.2017 को, यह स्पष्ट करने के लिए कि क्या एडब्ल्यूएसपीएल आयातित सामान (पीली मटर/दालें और लाल मसूर) का भंडारण कर सकता है जो डीटीए में आगे बिक्री के लिए स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हैं या नहीं। उन्होंने विस्तृत उल्लेख किया कि डीटीए में पीली मटर/दालें और लाल मसूर के आयात पर प्रतिबंध विदेश व्यापार नीति और एसईजेड अधिनियम/नियमों के विपरीत है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एफटीपी 2015-2020 में कहा गया है कि आइटम जो स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हैं उन्हें डीजीएफटी या बीओए के किसी के भी प्राधिकृतीकरण के बिना डीटीए में आयात किया जा सकता है।

डीसी, एपीएसईजेड ने उल्लेख किया कि आइटम पीली मटर (एचएस कोड 07131000) और लाल मसूर (एचएस कोड 07134000) केवल निर्यात के लिए प्रतिबंधित हैं, लेकिन वर्तमान विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के तहत मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। एजेंडा आइटम नम्बर का निर्णय करते समय प्रतिबंध लगाने का निर्णय 68 बीओए द्वारा 68.5 मद संख्या पर पीली मटर/दालों और लाल मसूर का आयात करने के लिए डीटीए में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था, जिसमें इकाई संशोधन की मांग कर रही है।

डीसी, एपीएसईजेड ने 68वें बीओए की एजेंडा मद संख्या 68.5 की समीक्षा करने के लिए बीओए की अगली बैठक में 03.11.2017 को उपरोक्त उल्लिखित पत्र के माध्यम से संवाद जारी करने का अनुरोध किया है।

यूनिट का प्रस्ताव बीओए के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

मद संख्या 81.6 : बीओए के साथ अपील (2 अपील)

(i) एमईपीजेड में स्थित एक इकाई मैसर्स डीएचएल लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड की यूएसी की दिनांक 22.12.2017 को आयोजित बैठके यूएसी, एमईपीजेड द्वारा पारित कार्यवृत्त के खिलाफ अपील।

जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई उसका सारांश

मैसर्स डीएचएल लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को ग्राहकों की ओर से प्रेषण के लिए माल धारित करने सहित प्राधिकृत प्रचालनों के लिए दिनांक 28.04.2010 को एलओपी दिया गया था। एफटीडब्ल्यूजेड, चेन्नई में स्थित एक इकाई मैसर्स डीएचएल लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड नरियम 2006 के एसईजेड नियम 50 और 51 के प्रावधानों के अंतर्गत एफटीडब्ल्यूजेड से मालों अस्थायी रूप से हटाने तथा उसे डीटीए में ले जाने और 120 दिनों के अंदर एफटीडब्ल्यू को वापस करने के लिए यूएसी, एमईपीजेड के समक्ष एक अनुरोध प्रस्तुत किया है जो केवल एसईजेड के निर्माण के लिए ही सीमित नहीं है।

इसके अलावा, एसईजेड नियम एसईजेड इकाई को 120 दिनों के भीतर एसईजेड को ऐसे सामानों की वापसी के अधीन शुल्क के भुगतान के बिना अस्थायी रूप से निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए "सामान" को क्लीयर करने की अनुमति देता है। प्रदर्शनी-प्रदर्शन/निदर्शन के उद्देश्य के लिए माल का अस्थायी निष्कासन नियम 50 के खंड (ख) के तहत कवर होता है जिसका अर्थ है कि प्रदर्शन के लिए किसी भी एसईजेड से किसी भी सामान है। एफटीडब्ल्यूजेड को यूनिट के अधिकृत ऑपरेशन के हिस्से के रूप में मालिकों के निर्देश के अनुसार अन्य की ओर से सामान रखने और ऐसे सामान को भेजने की अनुमति है। यह मामला ग्राहक मैसर्स की साइट टेक्नोलॉजीज निदेशक कारण इकाई द्वारा आयोजित एफटीडब्ल्यूजेड इकाई के रूप में रखे सामान से संबंधित है। उनके निर्देश के अनुसार प्रेषण के लिए जहां वस्तुओं का प्रदर्शन डीटीए में प्रदर्शनी निदर्शन-प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए किया जाता है।

अपील की विषय-वस्तु

अपीलकर्ता ने निम्नानुसार कहा है :

22.12.2017 की यूएसी की बैठक में कहा गया है कि डीएचएफ लॉजिस्टिक्स प्राइवेट के ग्राहकों में से एक ग्राहक अर्थात् मैसर्स कीसाइट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर जिनके सामान को एफटीडब्ल्यूजेड इकाई में भंडारण किया जाता है, ने उत्पाद के तकनीकी लाभों के बारे में जानने के लिए भारत खरीदार के प्रदर्शन, निदर्शन और प्रदर्शनी के उद्देश्य से डीटीए में अपनी एफटीडब्ल्यूजेड इकाई से सामानों को अस्थायी हटाने की मंजूरी मांगी है। इन वस्तुओं को 120 दिनों के भीतर एफटीडब्ल्यूजेड में वापस कर दिया जाएगा। समिति ने अनुरोध की जांच की और उसका मानना था कि डीटीए से माल के अस्थायी रूप से हटाने के लिए नियम 50 विनिर्माण एसईजेड के लिए है, न कि एफटीडब्ल्यूजेड के लिए। चूंकि मैसर्स कीसाइट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इयूटी के भुगतान के बिना नियम 50 के तहत माल को हटाना चाहता है, अगर वहीं सामान डीटीए में आयात किए जाते थे तो वे अन्यथा भुगतान करते समय समिति ने सामान का शुल्क का भुगतान किए बिना प्रदर्शन, निदर्शन या प्रदर्शनी हेतु अस्थायी रूप से हटाने के लिए यूनिट के अनुरोध से सहमति व्यक्त नहीं की।

मैसर्स डीएचएल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि उनके एक ग्राहक मैसर्स कीसाइट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर ने एफटीडब्ल्यूजेड वेयरहाउस में विदेशों से लाए सामान को रखने और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन, प्रदर्शनी तथा निदर्शन के उद्देश्य से एसईजेड नियम 50 और 51 के प्रावधान के तहत अस्थायी रूप से डीटीए में हटाने के लिए सामान भेजने के लिए कहा उन्होंने इसका अपने प्रदर्शन केंद्रों के साथ ही सीमा शुल्क स्थानों पर भी प्रदर्शित किए। सामान अस्थायी हटाने के लिए निकासी की तारीख से 120 के भीतर एफटीडब्ल्यूजेड पर वापस आ गया है।

यूनिट ने माननीय बीओए से प्रार्थना की है कि अस्थायी निकासी को एसईजेड नियम 50 और 51 के तहत कवर किया जाता है और यूएसी इस यथानिरूपित यह विनिर्माण एसईजेड तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा, प्रत्येक एसईजेड में एक एफटीडब्ल्यूजेड भी शामिल होता है। नियम एसईजेड इकाई को 120 दिनों के भीतर एसईजेड को ऐसे सामानों की वापसी के अधीन शुल्क के भुगतान के बिना अस्थायी रूप से "माल" को हटाने के लिए निर्दिष्ट करते

हैं। प्रदर्शनी-प्रदर्शन/निर्दर्शन के उद्देश्य के लिए माल का अस्थायी निष्कासन नियम 50 के खंड (ख) के तहत कवर किया गया है जिसका अर्थ है कि प्रदर्शन के लिए किसी भी सामान का प्रदर्शन, इस प्रावधान का उपयोग करके प्रदर्शनी को डीटीए में हटाया जा सकता है। एफटीडब्ल्यूजेड को यूनिट के अधिकृत आपरेशन के हिस्से के रूप में मालिकों के निर्देश के अनुसार अन्य खार्तों पर सामान रखने और ऐसे सामान भेजने की अनुमति है। यह मामला उस जगह है जहां सामान आयोजित किया जाता है उन्हें उनके निर्देशों के अनुसार प्रेषण के लिए ग्राहक कीसाइट के कारण एफटीडब्ल्यूजेड इकाई, जिसमें आयोजित सामानों का प्रदर्शन डीटीए में प्रदर्शन, प्रदर्शनी-निर्दर्शन के उद्देश्य से किया जाता है।

डीटीए को अस्थायी निष्क्रमण-नियम की स्थिति।

सेज नियम 2006 के नियम 50(1)(ख) में प्रावधान है कि वह यूनिट अस्थायी रूप से प्रदर्शन, निर्यात संवर्धन, प्रदर्शनी के लिए और भुगतान के बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र में वापस ला सकते हैं।

इसके अलावा, एसईजेड नियम, 2006 का नियम 51 में डीटीए में अस्थायी रूप से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(एन) का एफटीडब्ल्यूजेड को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसमें मुख्य रूप से व्यापार और गोदाम तथा उससे संबंधित अन्य गतिविधियां चलती हैं।

अपील को विचाराधीन बीओए के समक्ष रखा गया (अनुलग्नक-1)।

(ii) केएएसईजेड में स्थित एक इकाई मैसर्स टेक्सल लिमिटेड की यूएसी केएएसईजेड द्वारा पारित 29.12.2017 के आदेश के खिलाफ अपील।

उस आदेश का सार जिसके खिलाफ अपील की गई

मैसर्स टेक्सल लिमिटेड को ऊनी और सिंथेटिक यार्न के निर्माण के लिए दिनांक 22.06.2004 को एलओपी दिया गया था जिसे समय-समय पर 31.05.2019 तक बढ़ा दिया गया। इकाई ने 14.11.2014 दिनांकित नवीनीकरण पत्र की स्थिति संख्या 2 और 4 को संशोधित करने और उपयोग किए गए तथा फटे पुराने की डीटीए निकासी की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

इसके अलावा, इकाई ने सूचित किया है कि फर्म का साझेदार समिति के समक्ष पेश हुआ और उसे यह समझाया कि 2004 में उनके मूल एलओपी जारी किया गया था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि इकाई घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अस्वीकार और बिक्री को छोड़कर अपने पूरे सामान का एसईजेड योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्यात करेगी।

22.10.2009 के पत्र के अनुसार यह कहा गया कि उक्त एलओए के नवीनीकरण के समय, ऊपर वर्णित मूल शर्त में संशोधन किया गया था और एक नई शर्त का उल्लेख किया गया था। दोनों स्थितियों को नीचे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है :

"1. इकाई संपूर्ण मर्दों का निर्यात करेगी जिसमें फटे/पुराने कपड़ों का विनिर्माण अवशिष्ट, फटे प्रयोग किए गए कपड़े और चीथड़े शामिल नहीं है।

3. पहने हुए/इस्तेमाल किए गए कपड़ों पहने हुए/प्रयुक्त कपड़ों की मर्दों और चीथड़ों की कोई डीटीए निकासी अनुमति होगी।"

अपील की सामग्री

अपीलकर्ता ने निम्नानुसार कहा है :

उपरोक्त मामला 13.12.2017 को आयोजित 121वें केएसजेड यूएसी की बैठक के समक्ष आया था। यूएसी ने 29.12.2017 के पत्र के तहत उल्लेख किया है कि समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद यह नोट किया कि "17.09.2013 की नीति इस इकाई पर भी लागू होती है क्योंकि कहा गया। इकाई की गतिविधि अन्य फटे-पुराने कपड़ों की इकाइयों के समान है, सिवाय इसके कि उन्हें फटे कपड़ों का आयात करने की अनुमति नहीं दी गई है। बल्कि मैसर्स टेक्सल स्पिनर्स को इंटर-जोन खरीद आधार पर अन्य फटे कपड़ों की इकाइयों से कच्चे माल की अपनी आवश्यकता को पूरा करने की अनुमति है। समिति ने यह भी नोट किया कि यूनिट ने अपने फटे कपड़ों की रीसाइक्लिंग इकाइयों से फटे कपड़ों की इंटर-जोन खरीद के माध्यम से कच्चे माल की अपनी पूरी खरीद को स्रोत स्रोतों के स्रोत से बाहर किया है और इस तरह के अंतर क्षेत्र की खरीद एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(ओ) के तहत आयात की परिभाषा में शामिल हैं। इकाई की आगे की गतिविधि एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18(4)(ग) के संदर्भ में पहने हुए और इस्तेमाल किए कपड़े की पुनः प्रसंस्करण के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए, स्वीकृति समिति ने फैसला किया कि 17.09.2013 की पॉलिसी परिपत्र की शर्तें पूरी तरह से लागू होंगी जो इस इकाई पर भी लागू है और तदनुसार इकाई के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।"

इकाई ने आगे कहा कि उन्हें अपने मामले को पेश करने की इजाजत नहीं दी गई थी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। इसके अलावा, इकाई ने कहा कि 2004 में एलओपी को ऊनी और सिंथेटिक यार्न के निर्माण के लिए जारी किया गया था। तथापि किसी प्रत्यक्ष आयात अस्वीकृतियों की डीटीए बिक्री और विनिर्माण अपशिष्ट की डीटीए बिक्री की अनुमति है। फिर से एलओपी 2009 को जारी किया गया था और डीटीए निकासी के लिए नवीनीकरण की अनुमति को वापस ले लिया गया और इसका कोई कारण/स्पष्टीकरण सूचित नहीं किया गया।

इसके अलावा, इकाई ने उल्लेख किया है कि यह केवल इकाई है जो प्रयुक्त वस्त्रों से यार्न का उत्पादन करने और 100 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात करने में लगी हुई है। यह भी कहा गया है कि जोन में प्रयुक्त कपड़ों के उद्योग खंड में लगी इकाइयों के बीच, केवल इसी इकाई ने 100 प्रतिशत स्वच्छ ट्रैक रिकार्ड के साथ विदेशी बाजार के लिए कच्चे माल की प्रक्रिया की है।

इकाई ने अनुरोध किया कि डीटीए बिक्री को उचित संशोधन सहित उनके लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें डीटीए बिक्री करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

नियम की स्थिति

वाणिज्य विभाग का दिनांक 17.09.2013 का कार्यालय जापन जो एसईजेड में फटे और प्रयुक्त कपड़ों की इकाइयों के कार्य को नियंत्रित करने के लिए नीति दिशानिर्देशों के संबंध में है, यह बताता है कि उसमें शामिल नीति को एसईजेड में इकाई द्वारा प्रयुक्त कपड़ों के पुनः प्रसंस्करण पर लगाए जाने के बाद निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार अपील को बीओए के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है (अनुलग्नक-2)।
